सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संघ सरकार

(राजस्व विभाग – सीमाशुल्क)

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

2017 की संख्या 41

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार

(राजस्व विभाग - सीमाशुल्क)

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

2017 संख्या 41

..... को लोकसभा तथा राज्य सभा के पटल पर प्रस्तुत

विषय-सूची

	अध्याय	*पैरा सं.*	*पृष्ठ*
प्राक्कथन			*iii*
कार्यकारी सार			*v*
सीमाशुल्क राजस्व	*I*	1.1 से 1.14.3	1
शुल्क छूट/रियायत योजनाओं में अनियमितताएं	*II*	2.1 से 2.7.1	17
सामान्य छूट अधिसुचनाओं का गलत कार्यान्वयन	*III*	3.1 से 3.5	33
उपयुक्त कर और अन्य प्रभारों की कम/गैर वसूली	*IV*	4.1 से 4.4.1	45
माल का गलत वर्गीकरण	*V*	5.1 से 5.7	51
अनुबंध			59
शब्दों और संकेताक्षरों की शब्दावली			73

प्राक्कथन

मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इस प्रतिवेदन को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत महानिदेशक, विदेश व्यापार तथा वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग-सीमाशुल्क की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेख किए गए दृष्टान्त वे हैं, जो 2016-17 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए मामलों के साथ-साथ पिछले वर्षों में ध्यान में आए मामले, जिन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नहीं बताया जा सका। 2016-17 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित दृष्टान्तों को भी वहां शामिल किया गया है, जहां आवश्यक हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सीमाशुल्क प्राप्तियाँ पिछले वित्तीय वर्ष से सात प्रतिशत तक बढ़ गई थी और ₹ 2,25,370 करोड़ पर रही। संग्रहीत सीमाशुल्क का जीडीपी में अनुपात 1.48 प्रतिशत था। निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के कारण एवं सामग्रियों पर वित्तीय वर्ष 2016-17 में छोड़ा गया शुल्क ₹ 3,87,539 करोड़ था।

इस रिपोर्ट में 85 करोड़ के राजस्व वाले 99 पैराग्राफ है। 30 करोड़ के मौद्रिक मूल्य सहित 77 पैराग्राफों में विभाग /मंत्रालय द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी करने, कारण बताओं नोटिस के निर्णय एवं ₹ 19 करोड़ की वसूली के रूप सुधारात्मक कार्यवाही अभी तक की गई है।

यह रिपोर्ट पॉच अध्यायों में विभाजित है। रिपोर्ट का अध्याय एक, एक ओर तो सीमाशुल्क प्राप्तियों की प्रवृति एवं वृद्धि प्रवाह की एक समीक्षा प्रदान करता है, दूसरी ओर सीमाशुल्क अधिनियम एवं नियमों तथा भारत की विदेशी व्यपार नीति (एफटीपी) के कार्यान्वयन में निहित मंत्रालय के प्रशासनिक ढांचे एवं कार्यों का संक्षिप्त विवरण है। अध्याय दो से पांच तक व्यापक श्रेणियों नामश: शुल्क छूट/रियायत योजनाओं में अनियमितताएं, सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत कार्यान्वयन, उपयुक्त कर एवं अन्य प्रभारों की कम/गैर वूसली एवं माल का गलत वर्गीकरण् के तहत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उजागर करने वाले पैराग्राफ निहित हैं। सभी मामले जहां मंत्रालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है एवं सुधारात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है को अनुबंध में सूचित किया गया है।

रिपोर्ट में सात अनुबंध हैं।

अध्याय I: सीमाशुल्क राजस्व

- वि.व. 2017 के दौरान आयातों ने 3.5 प्रतिशत की वृद्धि पंजीकृत की जबकि निर्यातों ने 7.92 प्रतिशत की वृद्धि पंजीकृत की। सीमाशुल्क प्राप्तियां उस अवधि में सात प्रतिशत पर बढ़ी।

{पैराग्राफ 1.6}

- **सीमाशुल्क प्राप्तियां जीडीपी के एक अनुपात, सकल कर राजस्व एवं सकल अप्रत्यक्ष कर के तौर पर वि.व. 2016 की तुलना में वि.व. 2017 में घट गया।**

{पैराग्राफ 1.8}

- **सीमाशुल्क प्राप्तियों के प्रतिशत के तौर पर छोडा गया राजस्व वि.व. 17 में 172 प्रतिशत था। छह निर्यात प्रोत्साहन एवं रियायत योजनाओं के अंतर्गत छोडा गया राजस्व कुल छोडे गए राजस्व का 96 प्रतिशत था।**

{पैराग्राफ 1.10 और 1.11}

अध्याय II: शुल्क छूट/रियायत योजनाओं में अनियमितताएं

- ***लेखापरीक्षा ने एफटीपी के अध्याय 3 के अन्तर्गत जारी लाइसेंसों की नमूना जांच में संभावित धोखाधड़ी दर्शाने वाली स्क्रिप के पंजीकरण/स्क्रिप के प्रयोग में हेराफेरी के विभिन्न तरीको के माध्यम से ड्यूटी क्रेडिट का अनुचित प्रयोग नोटिस किया। लाइसेंस के अनुचित प्रयोग से जुडी राशि ₹ 4.97 करोड़ थी।***

{पैराग्राफ 2.1.1 से 2.1.3}

- **₹ 41.53 करोड़ का राजस्व आयातको/निर्यातकों द्वारा देय था जिन्होंने शुल्क छूट योजनाओं का लाभ उठाया था लेकिन निर्धारित दायित्व/शर्तें पूर्ण नहीं की थीं।**

{पैराग्राफ 2.2.1 से 2.7.1}

अध्याय III: सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत कार्यान्वयन

- ***चार मामलों की नमूना जांच में, लेखापरीक्षा ने जाली दस्तावेजों के आधार पर सीमाशुल्क के अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) के ₹ 57 लाख के राजस्व की वापसी नोटिस की।***

{पैराग्राफ 3.1.1 से 3.1.4}

- लेखापरीक्षा ने ₹ 16.78 करोड़ के कुल राजस्व प्रभाव वाली छूट अधिसूचनाओं को अनुचित रूप से लागू करने के 13 मामले नोटिस किये। इनमें से, विभाग ने ₹ 4.20 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले दस मामले स्वीकार किए थे और सात मामलों में ₹ 2.15 करोड़ की वसूली रिपोर्ट की थी।

{पैराग्राफ 3.2 से 3.5}

अध्याय IV: उपयुक्त कर और अन्य प्रभारों की कम/गैर वसूली

- लेखापरीक्षा ने ₹ 15.03 करोड़ के कुल राजस्व प्रभाव से जुडे लागू शुल्क और अन्य प्रभारो की कम/गैर-वसूली के 22 मामले नोटिस किये। इनमें से विभाग ने ₹ 12.20 करोड़ के कर प्रभाव के 20 मामले स्वीकार किए थे और 14 मामलों में ₹ 7.97 करोड़ की वसूली रिपोर्ट की थी। यह मामले मुख्य रूप से मूल सीमाशुल्क की कम उगाही, लागू एंटी डंपिंग शुल्क लगाये बिना मंजूर किए गए आयात, लागत वसूली प्रभारो के कम निर्धारण और गैर-वसूली के कारण शुल्क की कम उगाही के कारण थे।

{पैराग्राफ 4.1 से 4.4.1}

अध्याय V: माल का गलत वर्गीकरण

- 21 मामलों में, निर्धारण अधिकारी ने विभिन्न् आयातित माल का गलत वर्गीकरण किया जिसके कारण ₹ 6.12 करोड़ के सीमाशुल्क की कम उगाही/उगाही नहीं हुई। इनमें से विभाग ने ₹ 2.80 करोड़ के कर प्रभाव से जुडे 17 मामलों को स्वीकार किया और नौ मामलों में ₹ 67 लाख की वसूली रिपोर्ट की थी।

{पैराग्राफ 5.1 से 5.7}

अध्याय 1
सीमाशुल्क राजस्व

I विहंगावलोकन

यह अध्याय सीमाशुल्क प्राप्तियों, आयातो तथा निर्यातो एवं निर्यात संवर्धन योजनाओं के परिणामस्वरूप छोड़े गए शुल्क की प्रकृति एवं वृद्धि के रूझान को दर्शाता है। इस अध्याय में मंत्रालयों के संगठनात्मक ढ़ांचो और कार्यों जिसमें उनके आन्तरिक नियंत्रण तंत्र तथा आंतरिक लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल है, का भी विवरण किया गया है। इस अध्याय में दी गई जानकारी मुख्यत: 2015-16 तथा 2016-17 के संघ वित्त लेखे की सांख्यिकीय, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सांख्यिकीय सूचना, महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी), वाणिज्यिक विभाग तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध डाटा पर आधारित है।

1.1 संघ सरकार के संसाधन

भारत सरकार के कर तथा गैर कर स्रोतों में केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, खजाना बिलों द्वारा उठाए गए सभी ऋण, आन्तरिक एवं बाह्य ऋण एवं ऋण के पुन: भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सारा धन सम्मिलित है। केन्द्र सरकार के कर राजस्व स्रोतों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से राजस्व प्राप्तियां सम्मिलित हैं। नीचे दी गई **तालिका 1.1** वित्तीय वर्ष (वि.व) 17 तथा वि.व. 16 के लिए केन्द्र सरकार की प्राप्तियों का सार प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के स्रोत

₹ करोड़

	2016-17	**2015-16**
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	22,23,988	19,42,353
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	*8,49,801*	*7,42,012*
ii. अन्य कर सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां[1]	*8,66,167*	*7,13,879*
iii. गैर-कर प्राप्तियाँ	*5,06,721*	*4,84,581*
iv. सहायता अनुदान और अंशदान	*1,299*	*1,881*

[1] सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवाकर आदि के जैसी सेवाओं और वस्तुओं पर उद्ग्रहीत अप्रत्यक्ष कर;

ख. विविध पूँजीगत प्राप्तियां[2]	47,743	42,132
ग. ऋण एवं अग्रिम की वसूली[3]	40,971	41,878
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां[4]	61,34,137	43,16,950
भारत सरकार की प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	**84,46,839**	**63,43,313**

टिप्पणी: कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से प्रदत्त प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की कुल प्राप्ति का भाग वि.व. 16 में ₹ 5,06,193 करोड़ तथा वि.व. 17 में ₹ 6,08,000 करोड़ है।

स्रोत: 2015-16 तथा 2016-17 वर्षों के संघीय वित्त लेखे
2016-17 के आंकड़े अन्तिम है

संघ सरकार की कुल प्राप्तियाँ वि.व. 16 में ₹ 63,43,313 करोड़ से बढ़कर वि.व. 17 में ₹ 84,46,839 करोड़ हो गई। वि.व. 17 में, इसकी अपनी प्राप्तियाँ ₹ 17,15,968 करोड़ की सकल कर प्राप्तियों सहित ₹ 22,23,988 करोड़ थी जिसमें अप्रत्यक्ष कर का योगदान ₹ 8,66,167 करोड़ था।

1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति

अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं की आपूर्ति/सेवाओं की लागत पर वसूला जाता है और इन्हें व्यक्ति की बजाए लेन-देन पर लगाया जाता है। संसद की अधिनियमों के अंतर्गत उद्ग्रहीत मुख्य अप्रत्यक्ष कर/शुल्क सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर हैं। यह प्रतिवेदन सीमाशुल्क से संबंधित है।

1.3 अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

वि.व. 13 से वि.व. 17 के दौरान अप्रत्यक्ष करों की सापेक्षिक वृद्धि नीचे **तालिका 1.2** में दी गई है। जीडीपी[5] से अप्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता शेयर पिछले पांच वर्षों के दौरान 4.4 से 5.7 प्रतिशत के बीच थी।

[2] इसमें बोनस शेयर, सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों का विनिवेश तथा अन्य प्राप्तियों का मूल्य निहित है;

[3] संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम की वसूली;

[4] भारत सरकार द्वारा आंतरिक के साथ-साथ बाहरी उधारियाँ;

[5] स्रोत: संबंधित वर्षों के संघीय वित्त लेखे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जून 2016 में प्रदान किए गए जीडीपी के आँकड़े।

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि

₹ करोड़

वर्ष	सकल अप्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी की % के रूप में अप्रत्यक्ष कर	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व की % के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वि.व.13	4,74,728	99,88,540	4.75	10,36,460	45.80
वि.व.14	4,97,349	1,13,45,056	4.38	11,38,996	43.67
वि.व.15	5,46,214	1,25,41,208	4.36	12,45,135	43.87
वि.व.16	7,10,101	1,35,76,078	5.23	14,55,891	48.77
वि.व.17	8,62,151	1,51,83,709	5.68	17,15,968	50.24

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, वि.व. 17 के आंकड़े अनन्तिम है

सकल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों का शेयर वि.व. 16 की तुलना में वि.व. 17 में बढ़ गया।

II संगठनात्मक ढांचा तथा कार्य

1.4 सीमाशुल्क तथा विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की नियंत्रक महालेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा में प्रमुख रूप से वित्त मंत्रालय (एमओएफ) तथा वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) सम्मिलित है। दोनों मंत्रालयों का संगठनात्मक ढांचा तथा कार्यों को संक्षिप्त रूप से नीचे वर्णित किया गया है।

वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग (डीओआर) सचिव (राजस्व) के सम्पूर्ण नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करता है और केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित दो सांविधिक बोर्ड यथा; केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष केंद्रीय करों से संबंधित सभी मामलों का समंवय करता है। सीमाशुल्क की उगाही एवं संग्रहण से जुड़े मामलों की देखरेख सीबीईसी द्वारा की जाती है।

2016-17 के दौरान, सम्पूर्ण भारत के 29 जोनो में 103 सीमाशुल्क आयुक्तालय थे जिनमें से 33 आयुक्तालय सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अब जीएसटी आयुक्तालय जुड़े हुए थे।

सीबीईसी तथा सीमाशुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं की कुल संस्वीकृत स्टॉफ संख्या 86,812[6] (1 जनवरी 2017 तक) थी। सीबीईसी का संगठनात्मक ढ़ांचा **अनुबंध 1** में दर्शाया गया है।

वाणिज्यि एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत वाणिज्य विभाग (डीओसी) महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) के माध्यम से एफटीपी बनाता है, उसे लागू करता है तथा उसकी निगरानी करता है जो निर्यात एवं व्यापार प्रोत्साहन हेतु अपनायी जाने वाली नीति एवं रणनीति को आधारभूत ढाँचा प्रदान करती है। व्यापार नीति की घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, दोनों में उभरते आर्थिक परिदृश्यों पर ध्यान रखने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने की आवधिक समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, विभाग को बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) राज्य व्यापार, निर्यात प्रोत्साहन एवं व्यापार सुविधा, और विकास तथा कुछ निर्यातोन्मुख उद्योगों एवं प्रतिभूतियों के समंजन जुड़ी जिम्मेदारियाँ भी सौंपी गई है।

विदेश व्यापार नीति को क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकरणों (आरएलए) के माध्यम से लागू किया जाता है जो आयातक निर्यातक कोड (आईईसी)[7] प्रदान करने तथा निर्यात संवर्धन की विभिन्न योजनाओं के तहत लाइसेंस देने के लिए उत्तरदायी होता है। 2016-17 के दौरान सम्पूर्ण भारत में 37 आरएलए थे।

1.5 सीमाशुल्क का कर आधार

सीमाशुल्क राजस्व आधार में डीजीएफटी द्वारा आईईसी जारी किए गए आयातक एवं निर्यातक शामिल हैं। मार्च 2016[8] तक 724434 सक्रिय आईईसीज़ हैं। 2016-17 के दौरान ₹ 18.52 लाख करोड़ का निर्यात (69,83,970 लेन-देन) तथा ₹ 25.77 लाख करोड़ मूल्य का आयात (42,32,309 लेन-देन) किया गया। वि.व. 17 के दौरान टैरिफ रियायत प्रदान करने वाले चौंतीस करार[9] सक्रिय थे।

[6] 01 जनवरी 2016 को एचआरडी महानिदेशालय (सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर) द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

[7] डीजीएफटी दिल्ली द्वारा सभी आयातक/निर्यातक को आईईसी जारी किया जाता है।

[8] स्रोत: डीजीएफटी, उद्योग भवन, नई दिल्ली

[9] http://commerce.nic.in/trade/international

सीमाशुल्क प्राप्तियों (₹ 2,25,370 करोड़) के साथ-साथ छोड़ा गया राजस्व (₹ 3,87,539 करोड़) मिलकर कर आधार बनता है।

III सीमाशुल्क प्राप्तियों तथा छोड़े गए राजस्व का विश्लेषण

1.6 वि.व. 13 से वि.व. 17 के दौरान भारत का आयात एवं निर्यात तथा सीमाशुल्क प्राप्तियाँ

वि.व. 17 के दौरान निर्यात मूल्य के संदर्भ में पिछले दो वर्षों (वि.व. 15 तथा वि.व. 16) के दौरान ऋणात्मक वृद्धि प्रतिशत की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दर्शाई गई है। वि.व. 17 में निर्यात आय का मूल्य वि.व. 16 से ₹ 1,35,962 करोड़ (7.92 प्रतिशत) तक बढ़ा था।

वि.व. 17 के दौरान आयात मूल्य के संदर्भ में 4 प्रतिशत बढ़ा जोकि मुख्य रूप से अनाज, मांस तथा मील ऑफल, कॉटन, जिंक तथा उनकी वस्तुओं तथा अन्य आधारभूत धातुओं के आयात के कारण था।

तालिका 1.3: भारत के आयात तथा निर्यात

₹ करोड़

वर्ष	आयात	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर	सीमा शुल्क प्राप्तियां	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर	आयातों में प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां	निर्यात	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर	व्यापार असंतुलन	आयातों के प्रतिशत के रूप में व्यापार असंतुलन
वि.व.13	26,69,162	14	1,65,346	11	6.2	16,34,319	11	-10,34,843	38
वि.व.14	27,15,434	2	1,72,085	4	6.3	19,05,011	17	-8,10,423	30
वि.व.15	27,37,087	0.80	1,88,016	9	6.9	18,96,348	(-)0.45	-8,40,739	31
वि.व.16	24,90,298	(-)9.02	2,10,338	12	8.4	17,16,378	(-)9.49	-7,73,920	31
वि.व.17	25,77,422	3.50	2,25,370	7	8.7	18,52,340	7.92	-7,25,082	28

स्रोत: एक्जिम डाटा, वाणज्यिक विभाग, संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।
वि.व. 17 के आंकड़े अनन्तिम है

कुल आयात के प्रतिशत में सीमा शुल्क प्राप्तियां वि.व. 16 के 8.4 प्रतिशत की तुलना में वि.व. 17 में 8.7 प्रतिशत थी।

आयातो के प्रतिशत के रूप में व्यापार असंतुलन वि.व 13 में 38 प्रतिशत से वि.व. 17 में 28 प्रतिशत तक नीचे गिरा।

1.7 विशेष आर्थिक जोन से निर्यातो का निष्पादन

सेज अधिनियम 2005 के तहत, सेज की स्थापना के लिए दिए गए 424 अनुमोदन थे जिनमें से 7 सितम्बर 2017 तक 354 को अधिसूचित किया था तथा 222 परिचालनात्मक है **(अनुबंध 2)**। 30 जून 2017 तक 4643 यूनिटें अनुमोदित है। कुल ₹ 4.33 लाख करोड़ का निवेश किया गया है जिसके परिणामस्वरूप 17.79 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन हुआ।

2016-17 में सेज से निर्यात ने 2015-16 की तुलना में ₹ 5.24 लाख करोड़ के निर्यात के साथ 12 प्रतिशत वृद्धि दर्शाई है।

तालिका 1.4: वि.व. 13 से वि.व. 17 में सेज का निष्पादन

वर्ष	निर्यात ₹ करोड़ में	पिछले वर्ष में वृद्धि प्रतिशत
2012-13	4,76,159	31 %
2013-14	4,94,077	4%
2014-15	4,63,770	(-) 6%
2015-16	4,67,337	0.77 %
2016-17	5,23,637	12 %

स्रोत: www.sezindia.nic.in

1.8 जीडीपी, सकल कर राजस्व तथा अप्रत्यक्ष करों की तुलना में सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि

वि.व.13 से वि.व. 17 के दौरान जीडीपी तथा अप्रत्यक्ष करों की तुलना में सीमा शुल्क प्राप्तियों की वृद्धि प्रवृति **तालिका 1.5** में दी गई है।

तालिका 1.5: सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि

₹ करोड़

वर्ष	सीमा शुल्क प्राप्तियां	जीडीपी	जीडीपी की % के रूप में सीमाशुल्क प्राप्तियां	सकल कर राजस्व	सकल कर की % के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां	सकल अप्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष करों के % के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां
वि.व.13	1,65,346	99,88,540	1.66	10,36,460	15.95	4,74,728	34.83
वि.व.14	1,72,085	1,13,45,056	1.52	11,38,996	15.10	4,97,349	34.59
वि.व.15	1,88,016	1,25,41,208	1.50	12,45,135	15.10	5,46,214	34.42
वि.व.16	2,10,338	1,35,76,086	1.55	14,55,891	14.45	7,10,101	29.62
वि.व.17	2,25,370	1,51,83,709	1.48	17,15,968	13.13	8,62,151	26.14

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

जीडीपी, सकल कर राजस्व और सकल अप्रत्यक्ष करों के अनुपात के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियों में वि.व. 16 की तुलना में वि.व. 17 में कमी आई।

1.9 बजट तथा वास्तविक सीमा शुल्क प्राप्तियों में अंतर

वि.व. 13 से वि.व. 17 के दौरान बजट तथा संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक सीमा शुल्क प्राप्तियां निम्न **तालिका 1.6** में दी गई है।

तालिका 1.6: बजट तथा संशोधित अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां

₹ करोड़

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक तथा बीई के बीच अंतर	वास्तविक तथा बीई के बीच अंतर का प्रतिशत	वास्तविक तथा आरई के बीच अंतर का प्रतिशत
वि.व.13	1,86,694	1,64,853	1,65,346	(-)21,348	(-)11.43	(+)0.30
वि.व.14	1,87,308	1,75,056	1,72,085	(-)15,275	(-)8.16	(-)1.73
वि.व.15	2,01,819	1,88,713	1,88,016	(-)13,803	(-)6.84	(-)0.37
वि.व.16	2,08,336	2,09,500	2,10,338	(+)2,002	(+)0.96	(+)0.40
वि.व.17	2,30,000	2,17,000	2,25,370	(-)4,630	(-)2.01	(+)3.85

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ बजट तथा वित्त लेखें, राजस्व विभाग।
वि.व. 17 के आंकड़े अनन्तिम है

वि.व. 17 दौरान बजट अनुमानों तथा वास्तविक संग्रहण के बीच अंतर की प्रतिशतता (-) 2.01 प्रतिशत थी। वास्तविक प्राप्तियों के लिए संशोधित अनुमानों में भी (+) 3.85 प्रतिशत तक अंतर था।

1.10 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत छोड़ा गया सीमाशुल्क राजस्व

केंद्र सरकार को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के अंतर्गत जनहित में अधिसूचना जारी करने के लिए शुल्क छूट की शक्तियों को प्रत्यायोजित कर दिया गया है ताकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची के निर्धारित टैरिफ दरों से कम शुल्क दरें निर्धारित की जा सकें। अधिसूचना द्वारा निर्धारित की गई यें दरें "प्रभावी दरों" के रूप में जानी जाती है।

अत: छोड़े गए राजस्व को वित्त मंत्रालय द्वारा शुल्क, जो देय होगा, यदि नहीं होता तो छूट अधिसूचना जारी करने के लिए तथा संबंधित अधिसूचना के संदर्भ

में भुगतान किए गए वास्तविक शुल्क के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में,

छोड़ा गया राजस्व= मूल्य X (शुल्क की टैरिफ दर– शुल्क की प्रभावी दर)

तालिका 1.7: सीमा शुल्क प्राप्तियां तथा छोड़ा गया कुल सीमा शुल्क राजस्व

₹ करोड़

वर्ष	सीमा शुल्क प्राप्तियों	योजनाओं सहित वस्तुओं पर छोड़ा गया राजस्व	प्रतिदाय	अदा की गई फिरती	छोड़ा गया राजस्व +प्रतिदाय+ फिरती	सीमाशुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में छोड़ा गया राजस्व
वि.व.13	1,65,346	2,98,094	3,031	17,355	3,18,480	193
वि.व.14	1,72,085	3,26,365	4,501	18,539	3,49,405	203
वि.व.15	1,88,016	4,65,618	5,051	27,276	4,97,945	265
वि.व.16	2,10,338	2,98,704	6,346	35,370	3,40,420	162
वि.व.17	2,25,370	3,47,179	6,963	33,397	3,87,539	172

स्रोत: संघ प्राप्ति बजट, डीजी प्रणाली एवं डाटा प्रबंधन, सीबीईसी, फिरती सैल, सीबीईसी, वि.व. 17 के आंकड़े अनन्तिम है

सीमाशुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में छोड़ा गया राजस्व वि.व. 17 में 172 प्रतिशत था **(तालिका 1.7)**। वस्तुओं पर छोड़े गए राजस्व और प्रतिदाय में वि.व. 16 की तुलना में वि.व.17 में वृद्धि का रूझान था। तथापि, वि.व. 16 से वि.व. 17 में फिरती में 6 प्रतिशत (₹ 1,973 करोड़) की कमी हुई है।

वि.व. 17 के दौरान छोड़े गए राजस्व का 63 प्रतिशत, प्राकृतिक या कृत्रिम मोतियों, कीमती धातु तथा उससे बनी वस्तुओं और साऊंड रिकार्डर/रीप्रोडयूसर, ओर पुर्जों/उनसे बनी वस्तुओं, एनिमल या वनस्पति वसा/तेल, मानव निर्मित फिलामेंट आदि पर था।

1.11 निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत छोड़ा गया राजस्व

निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत छोड़ा गया राजस्व वि.व. 16 के दौरान 39 प्रतिशत की तुलना मे वि.व. 17 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों का 41 प्रतिशत था। वि.व. 17 के दौरान शीर्ष पांच योजनाएं, जिन पर शुल्क छोड़ा गया था, एडवांस लाइसेंस योजना, इओयू/ईएचटी/एसटीपी, सेज, ईपीसीजी एमईआईएस तथा फोकस उत्पाद योजना थी।

एडवांस लाइसेंस योजना लाइसेंस जारी होने की तिथि से 36 माह के अंदर निर्धारित निर्यात दायित्व (इओ) को पूरा करने के लिए परिणामी उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग किए गए कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयातों की अनुमति देती है।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज)/निर्यात संसाधन क्षेत्रों (इपीजेड)/निर्यात उन्मुख यूनिटों (इओयू) को माल तथा सेवाओं के निर्यात हेतु इनपुटों के नि:शुल्क आयातों की अनुमति दी गई है।

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (इपीसीजी) योजना सीमाशुल्क की रियायती दर पर पूंजीगत माल के आयात की अनुमति देती है जो लाइसेंस जारी होने की तिथि से आठ वर्षों की अवधि में पूरा होने हेतु आयातित पूंजीगत माल पर बचाए गए शुल्क के आठ गुणा के बराबर इओ के विषयाधीन है।

भारत योजना से उत्पाद निर्यात (एमईआईएस), मुक्त विदेशी विनिमय में निर्यातों के पोत पर्यक्त निशुल्क (एफओबी) मूल्य पर अधिसूचित बाजारों में अधिसूचित माल/उत्पादों के निर्यात हेतु शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के रूप में प्रतिफल का प्रावधान करती है।

फोकस उत्पाद योजना (एफपीएस) विशिष्ट उत्पादों के निर्यात हेतु नि:शुल्क विदेशी विनिमय में संपादित निर्यातों के पोतपर्यत नि:शुल्क (एफओबी) मूल्य के 2/5 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट का प्रावधान करती है।

वि.व. 17 के दौरान कुल छोड़े गए राजस्व (₹ 91,336 करोड़) का 96 प्रतिशत (₹ 87,732 करोड़) इन छः प्रमुख योजनाओं के कारण था जिन्हें नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: प्रमुख निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत छोड़ा गया राजस्व

योजना	छोड़ी गई राशि (₹ करोड़)	(कुल छोड़े गए राजस्व की प्रतिशतता)	छोड़ी गई राशि (₹ करोड़)	(कुल छोड़े गए राजस्व की प्रतिशतता)
	वि.व.16		वि.व.17	
एडवांस लाइसेंस	25,633	31	29,356	32
इओयू/इएचटी/एसटीपी	14,849	18	18,497	20
एस.ई.जेड़	13,595	17	13,003	14
*भारत योजना से उत्पाद निर्यात (एमईआईएस)	0		12,826	14

योजना	छोड़ी गई राशि (₹ करोड़)	(कुल छोड़े गए राजस्व की प्रतिशतता)	छोड़ी गई राशि (₹ करोड़)	(कुल छोड़े गए राजस्व की प्रतिशतता)
	वि.व.16		वि.व.17	
ईपीसीजी	10,145	12	10,986	12
फोकस उत्पाद योजना (एफपीएस)	7,495	9	3,064	3
उप जोड़	71,717	88	87,732	96
अन्य**	10,065	12	3,604	4
कुल	81,782		91,336	
सीमाशुल्क प्राप्तियां	2,10,338		2,25,370	
सीमाशुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में छोड़ा गया राजस्व		39		41

स्रोत: महानिदेशालय, डाटा प्रबंधन, सीबीईसी, वित्त मंत्रालय

* भारत योजना से उत्पाद निर्यात योजना (एमईआईएस) ने विदेश व्यापार नीति 2015-20 में एफएमएस/एफपीएस तथा वीकेजीयूवाई योजनाओं को प्रतिस्थापित किया था।

**अन्य में डीईपीबी, डीएफआरसी, डीएफईसीसी योजनाएं, लक्ष्य प्लस योजना, विशेष कृषि तथा ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई), भारत योजना से सेवित (एसएफआईएस), डीएफआईए योजना, स्टेटस होल्डर इन्सेक्टिव स्क्रिप योजना (एसएचआईएस), फोकस बाजार योजना (एफएमएस) आदि शामिल है।.

वि.व. 17 के दौरान एडवांस लाइसेंस योजना के अंतर्गत छोड़ा गया राजस्व विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के मध्य उच्चतम था। वित्त वर्ष 17 में एडवांस लाइसेंस योजना, इओयू/इएचटी/एसटीपी तथा ईपीसीजी योजना के अंतर्गत छोड़े गए राजस्व में सेज तथा फोकस उत्पाद योजना को छोड़कर, वि.व 16 की तुलना में वृद्धि हुई थी।

1.12 वि.व. 13 से वि.व. 17 के लिए संग्रहण की लागत

संग्रहण की लागत सीमा शुल्कों के संग्रहण पर उठाई गई लागत है तथा इसमें आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्यों, निवारक कार्यों, आरक्षित निधि/जमा खाता में हस्तांतरणों पर किए गए व्यय तथा अन्य व्यय शामिल है।

2016-17 के लिए सीमाशुल्क प्राप्तियों के संग्रहण की लागत सीमा शुल्क प्राप्तियों का 1.47 प्रतिशत थी। 2013-14 से 2016-17 की पांच वर्ष की वित्तीय अवधि के लिए सीमाशुल्क प्राप्तियों के संग्रहण की लागत नीचे दी गई है।

तालिका 1.9: वि.व. 13 से वि.व. 17 के दौरान संग्रहण की लागत

₹ करोड़

वर्ष	राजस्व सह आयात/निर्यात तथा व्यापार नियंत्रण कार्यों पर व्यय	निवारक एवं अन्य कार्यों पर व्यय	आरक्षित निधि, जमा खाता में हस्तांतरण तथा अन्य व्यय	कुल	सीमा शुल्क प्राप्तियां	सीमाशुल्क प्राप्तियों की प्रतिशता के रूप में संग्रहण की लागत
वि.व 13	315	1,653	10	1,979	1,65,346	1.20
वि.व 14	333	1,804	5	2,142	1,72,085	1.25
वि.व 15	382	2,094	20	2,496	1,88,016	1.33
वि.व 16	412	2,351	36	2,799	2,10,338	1.33
वि.व 17	544	2,771	7	3,322	2,25,370	1.47

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ सरकार के वित्त लेखे। वि.व 17 के आंकडे अनन्तिम हैं।

सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के संबंध में व्यक्त, संग्रहण की लागत 1.20 प्रतिशत (वि.व. 13) से 1.47 प्रतिशत (वि.व. 17) के बीच थी।

1.13 आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा

1.13.1 जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस)

सीमा शुल्क निर्धारण प्रक्रियाओं का आयातों तथा निर्यातों की तीव्र प्रक्रिया द्वारा व्यापार को सरल बनाने तथा निर्धारणों में अनियमितताओं को न्यूनतम करने के लिए व्यापक रूप से कम्प्यूटरीकरण किया गया है। आरएमएस, एक इलेक्ट्रोनिक प्रणाली, पूर्व परिभाषित जोखिम पैरामीटरों, जो तब निर्धारण या जांच या दोनों के विषयाधीन थे, के आधार पर आयात घोषणाओं (माल) पर प्रतिबंध लगाती है।

आरएमएस की दक्षता, दर्शाए गए आऊटलायर्स की यथार्थता पर निर्भर करती है तथा सभी एयर कार्गो, बंदरगाहों तथा भूमि पोर्टों, सेज/इओयू, गैर-ईडीआई पोर्ट को छोड़कर, में प्रणाली आधारित निर्धारणों के कवरेज में वृद्धि करती है। वि.व. 17 में कुल आयात संव्यवहारों में से पिछले वर्ष में 20 प्रतिशत के प्रति विस्तृत निर्धारणों के लिए आरएमएस द्वारा 21 प्रतिशत को चिन्हित किया गया था (तालिका 1.10)। इसी प्रकार, वि.व. 17 में आरएमएस द्वारा विस्तृत निर्धारणों के लिए चिन्हित निर्यात संव्यवहार वि.व. 16 में 24 प्रतिशत के प्रति कुल संव्यवहारों का 30 प्रतिशत था।

तालिका 1.10 आरएमएस द्वारा चिन्हित संव्यवहार

आरएमएस द्वारा चिन्हित संव्यवहारों की संख्या	वि.व. 16	वि.व. 17
आयात	16,06,930 (20 %)	9,04,928 (21%)
निर्यात	23,81,803 (24 %)	17,81,457 (30%)
कुल संव्यवहार (आयात)	80,15,856	42,32,309
कुल संव्यवहार (निर्यात)	97,41,229	69,83,970

स्रोत: # विश्लेषण महानिदेशक एवं जोखिम प्रबंधन डिविजन, सीबीईसी

1.13.2 आंतरिक लेखापरीक्षा तथा जांच

महानिदेशक लेखापरीक्षा का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, इसकी अध्यक्षता महानिदेशक (लेखापरीक्षा) करता है, इसकी सात जोनल यूनिटें अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता तथा मुम्बई में है, प्रत्येक की अध्यक्षता उसके मंडल के अन्तर्गत अपर महानिदेशक द्वारा की जाती है। डीजीए की प्रत्येक जोनल यूनिट का मुख्य कमिश्नर तथा उनके अंतर्गत कमिश्नरियों की जोनल यूनिटों पर क्षेत्रवार नियंत्रणाधिकार दिए गए है।

1.13.3 डीजी (लेखापरीक्षा), सीबीईसी द्वारा तकनीकी लेखापरीक्षा

विभागीय लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है जो अननुपालन तथा अक्षमता का पता लगाता है तथा कमियों के लिए उपचारात्मक कार्रवाई शुरू करता है। सीबीईसी ने वि.व. 16 और वि.व. 17 के लिए योजनाबध्य और आयोजित की गई तकनीकी लेखापरीक्षाओं पर कोई जानकारी प्रेषित नहीं की थी। इसलिए लेखापरीक्षा प्रभाविकता पर कथन करने में असमर्थ हैं।

1.13.4 ऑन साइट पोस्ट क्लीयरेंस ऑडिट (ओएसपीसीए)

सीबीईसी ने अधिसूचना सं. 72/2011-सीयूएस (एन.टी.) दिनांक 4-10-2011 के द्वारा आयतकों और निर्यातकों के परिसर पर 'ऑन साइट पोस्ट क्लीयरेंस ऑडिट (ओएसपीसीए)' अथवा ओएसपीसीए की योजना को लागू किया है।

ओएसपीसीए आयतक अथवा निर्यातक के परिसरों पर आयात संर्वधन योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी आयत/निर्यात लेन-देन सहित की संविक्षा द्वारा आवधिक आधार पर स्वयं-निर्धारण के सत्यापन की अनुमति देता है। इस प्रकार, कोई आयातक या निर्यातक कम किय गये कलीयरंश समय से लाभ उठा सकता है और यथा समय सामान, बीमा पर बचत, गोदाम और भंडारण प्रभारों से निपट

सकते है। दूसरी तरफ सीमाशुल्क एक व्यापक कम्पनी केंद्रित जांच कर सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयात अथवा निर्यात घोषणाओं के अनुरूप है। बोर्ड ने 1-10-2011 से केवल अधिकृत ग्राहक कार्यक्रम (एसीपी) के अन्तर्गत केवल पंजीकृत आयतकों के लिए ओएसपीसीए को परिचालित किया। 2016-17 में सीबीईसी ने एसीपी और एईओ को एक संयुक्त थ्री-टापर एईओ कार्यक्रम में मिला दिया (परिपत्र सं. 33/2016-सी-दिनांक 22 जूलाई 2016)।

प्राधिकृत अर्थव्यवस्था परिचालक (एईओ) कार्यक्रम का उद्देश्य उन संस्थाओं को अधिक लाभ प्रदान करना है जिन्होंने मजबूत आंतरिक प्रणाली का प्रदर्शन किया है और सी.बी.ई.सी. द्वारा नियंत्रित कानूनों का अनुपालन किया है। कार्यक्रम के तहत आयातक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार लेखापरीक्षा के अधीन होगा।

वि.व. 17 के दौरान ओएसपीसीए के अन्तर्गत लेखापरीक्षा के लिए केवल 17 प्रतिशत आयोजित इकाइयों का लेखापरीक्षण किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप नगण्य मूल्य के ₹ 8.60 करोड़ की कुल कम उगाही का पता लगा जिसमें से ₹ 5.02 करोड़ की वसूली की गई थी। **(तालिका 1.11)**।

तालिका 1.11: ओएसपीसीए के अंतर्गत की गई लेखापरीक्षा

वि.व.	यूनिटों की सं. जिनकी लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी	लेखापरीक्षा आयोजित	पता चला शुल्क ₹ करोड़ में	वसूला गया शुल्क ₹ करोड़ में
वि.व.16	330	80 (24 %)	3.73	3.51
वि.व.17	561	93 (17%)	8.60	5.02

स्रोत: महानिदेशक लेखापरीक्षा, सीमाशुल्क, केंदीय उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर

1.13.5 कर अपवंचन तथा जब्ती

राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार शुल्क अपवंचन के मामलों की संख्या वि.व. 16 में 631 से बढ़कर वि.व. 17 में 667 हो गई थी तथा मूल्य ₹ 6,623 करोड़ से घटकर ₹ 1,422 करोड़ हो गया था **(अनुबंध 3)**। अपवंचन मामलों में शामिल मुख्य वस्तुएं, स्वर्ण (सोना), स्वर्ण आभूषण, रक्त चंदन, मादक पेय, कच्चा लोहा, मोबाईल एवं दवाईयां के उत्पादन मदें हैं।

1.13.6 आंतरिक लेखापरीक्षा अनियमितताएं

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्र. सीसीए), सीबीईसी, सीबीईसी के विभिन्न भुगतान तथा लेखांकन कार्यों की लेखापरीक्षा करता है। यद्यपि आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अभिन्न अंग है फिर भी प्र. सीसीए की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों में 338 आंतरिक लेखापरीक्षा पैरों को लंबित दर्शाया गया जिनका सकल मूल्य ₹ 57,121 करोड़[10] था।

प्र.सीसीए लेखापरीक्षा टिप्पणियों में वि.व. 17 तक स्थापना लेखापरीक्षा के बिंदुओं के अलावा निम्नलिखित अनियमिताओं को भी शामिल किया गया था:

क) सरकारी विभाग/राज्य सरकार निकायों/निजी पार्टियों/स्वायत निकायों से देयताओं की वसूली न करना; ₹ 47,556 करोड़;

ख) सरकारी निधि का अवरोधन; ₹ 1,144 करोड़।

1.14 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) की लेखापरीक्षा

सीमा शुल्क राजस्व की सीएजी की लेखापरीक्षा जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत करते है। अनुपालन लेखापरीक्षा दिशा निर्देश 2015, स्थायी आदेशों तथा लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमावली 2007 के प्रावधानों के अनुसार अनुपालन लेखापरीक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा की व्यवस्था महानिदेशकों (डीजीज़)/प्रधान निदेशकों (पीडीज़) की अध्यक्षता में नौ क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से की जाती है।

1.14.1 अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

मौजूदा रिपोर्ट में ₹ 85 करोड़ के राजस्व प्रभाव के 99 पैराग्राफ है। इसमें सामान्यत: पांच प्रकार की अभ्युक्तियां अर्थात गलत वर्गीकरण; छूट अधिसूचना का गलत उपयोग; अधिसूचना की शर्त जो पूरी नहीं हुई; गलत प्रावधान की योजना आधारित छूट तथा सीमा शुल्क का गलत निर्धारण थी। विभाग/मंत्रालय ने परिशोधन कार्रवाई की है जिसमें कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा कारण बताओं नोटिसों के अधिनिर्णयन के रूप में 77 पैराग्राफों के

[10] प्र. सीसीए डी.ओ.सं.IA/एनजेड/एचक्यू/सीएजी/सूचना/2016-17/74 दिनांक 28 अगस्त 2017

मामले में ₹ 30 करोड़ का निधि मूल्य शामिल है तथा उन्होंने 50 मामलों में ₹ 19 करोड़ की वसूली की सूचना दी है।

1.14.2 सूचना/अभिलेखों तक एक्सेस

राजस्व विभाग, सीबीईसी, वाणिज्य विभाग तथा उनकी क्षेत्रीय संरचनाओं में मूल अभिलेखों/दस्तावेजों की जांच के साथ आईसीईएस 1.5 की सिंगल साइन ऑन (एस एस ओ आई डी)[11] आधारित एक्सेस का उपयोग किया गया था। अन्य पणधारक रिपोर्टों के साथ सीबीईसी के एमआईएस, एमटीआरज का उपयोग किया गया था। इसके अलावा, डीजीएफटी (ईडीआई) डाटा, सेज ऑनलाइन डाटा डीओसी, सीमा शुल्क के वार्षिक आयात/निर्यात डाटा (सीबीईसी) संघ वित्त लेखा, एक्सिम डाटा, डीओसी का भी प्रयोग किया गया था।

व्यापक लेखापरीक्षा योजना के लिए जोखिम निर्धारण के लिए और सीमाशुल्क लेन-देन का बृहत विश्लेषण 2012-13 से संभव नहीं हुआ क्योंकि डाटा निदेशिका के अनुसार आयातों तथा निर्यातों के लिए आईसीईएस 1.5 के संव्यवहार स्तर डाटा को महानिदेशक (प्रणाली) सीबीईसी द्वारा कई अनुस्मारकों और कई बैठको लेखापरीक्षा तथा बोर्ड के मध्य, उच्चस्तरीय सहित के बावजूद उपलब्ध नहीं करवाया गया। आईसीईएस का सीआरए मौड्यूल, संव्यवहार डाटा के मैक्रो विश्लेषण के लिए लेखापरीक्षा की डाटा की आवश्यकताओ का ध्यान नहीं रखता।

1.14.3 सीएजी की लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया, लेखापरीक्षा रिपोर्टों का राजस्व प्रभाव/फोलो-अप

पिछली पांच लेखापरीक्षा रिपोर्टों (वर्तमान वर्ष की रिपोर्ट सहित) में हमने 17 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल किए थे (तालिका 1.12) जिसमें ₹ 65.70 करोड़ शामिल हैं। सरकार ने ₹ 275 करोड़ मूल्य के 495 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा 334 पैराग्राफों में ₹ 105 करोड़ की वसूली की।

[11] एस एस ओ आई डी कस्टम ई डी आई प्रणाली के लिए व्यक्तिगत सुरक्षित लॉग इन प्रोटोकाल है।

तालिका 1.12: लेखापरीक्षा रिपोर्टों का फोलो-अप

₹ करोड़

वर्ष	शामिल पैराग्राफ		स्वीकृत पैराग्राफ		प्रभावी वसूलियां	
	सं.	राशि (₹ करोड़)	सं.	राशि (₹ करोड़)	सं.	राशि (₹ करोड़)
वि.व.13	139	1,832	120	95	85	31
वि.व.14	154	2,428	137	46	78	17
वि.व.15	122	1,162	91	85	67	23
वि.व.16	103	1,063	70	19	54	15
वि.व.17	99	85	77	30	50	19
कुल	**617**	**6,570**	**495**	**275**	**334**	**105**

स्रोत: संबंधित वर्षों की सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टें

अध्याय II
शुल्क छूट/रियायत योजनाओं में अनियमितताएं

भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ एफटीपी प्रतिपादित और कार्यान्वित करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) जवाबदेह है। डीजीएफटी विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत निर्यातकों को स्क्रिप/प्राधिकार जारी करता है और 37 क्षेत्रीय लाइसेंस अधिकारियों (आरएलए) के नेटवर्क के माध्यम से उनकी तदनुरूप बाध्यताओं की निगरानी करता है। सभी 37 आरएलए कम्प्यूटरीकृत है और डीजीएफटी केन्द्रीय सर्वर से जुड़े है।

सीमाशुल्क के अंतर्गत डीजीएफटी द्वारा जारी स्क्रिप/प्राधिकार के अंतर्गत आयातो को विनियमित करने के लिए सीबीईसी द्वारा अधिसूचनाएं जारी की जाती है और कमिश्नरियों के अंतर्गत सीमाशुल्क गृह में संबंधित निर्यातक द्वारा इन स्क्रिपों को पंजीकृत कराया जाना चाहिए। निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं कें अंतर्गत इनपुट तथा पूंजीगत वस्तुओं का आयात सीमाशुल्क से पूर्ण या आंशिक रूप से छूट प्राप्त है। ऐसी छूट प्राप्त वस्तुओं के आयातक को निर्धारित निर्यात शर्तें (ईओ) पूर्ण करने के साथ-साथ विशिष्ट निबंधनों का पालन भी करना पड़ेगा जिसके न करने पर शुल्क की पूर्ण दर आरोपित की जाएगी।

रिकॉर्डों (जुलाई 2014 से फरवरी 2017) की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने निर्यात बाध्यता का पूर्ण न किया जाना डोमेस्टिक टैरिफ एरिया (डीटीए) क्लीरेंस पर कम शुल्क लगाना, न्यूनतम मूल्य वृद्धि की गैर उपलब्धि, ड्राबैक की गैर वसूली जहां निर्यात की आय नहीं प्राप्त हुई है। स्क्रिपों आदि के अनुचित पंजीकरण के कारण शुल्क स्क्रिपों का दुरूपयोग संबंधी 39 नियमित अनियमितताएं पाईं गई। ये लगातार अनियमितताऐं डीजीएफटी तथा सीबीईसी के बीच अतंरण डाटा के कम्प्यूटीकरण के बावजूद भी समन्वय की कमी को दर्शाते हैं। इन 39 मामलों में ₹ 46.50 करोड़ का कुल राजस्व शामिल था, जहाँ ईओ/शर्तें पूर्ण किए बिना शुल्क छूट प्रदान की गई थी। आगामी पैराग्राफों में इनमें से 12 मामलों पर चर्चा की जा रही है, तथा 27 मामलों को जिन्हें विभाग

द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा वसूली की जा चुकी अथवा वसूली कार्यवाही आरंभ की गई का वर्णन **अनुबंध 4** में किया गया है।

2.1 विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 और 4 के अंतर्गत पुरस्कार/ प्रोत्साहन योजनाएं

एफटीपी 2009-14 के अध्याय 3 के अनुसार, डीजीएफटी विभिन्न विदेश व्यापार कार्यालयों (जेडीजीएफटी) के क्षेत्रीय संयुक्त महानिदेशक के माध्यम से स्टेटस होल्डर प्रोत्साहन योजना (एसएचआईएस) शुल्क क्रेडिट स्क्रिप तथा विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) स्क्रिप जारी करती है। डीजीएफटी कार्यालयों द्वारा जारी स्क्रिपों पर छपी स्क्रिप संख्या एक सिस्टम जनरेटेड 10 संख्याओं का विशिष्ट अंक होता है। स्क्रिपों को मुक्त रूप से हस्तांतरित किया जा सकता है और उपलब्ध क्रेडिट की सीमा तक शुल्क का भुगतान किए बिना वस्तुओं के आयात के लिए प्रयुक्त किए जा सकते है। योजनाओं के लिए निर्यात लाभों का निर्धारण लदान पत्र के फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। शुल्क क्रेडिट का उपयोग करने हेतु, स्क्रीप (जेडीजीएफटी कार्यालय द्वारा प्रमाणपत्र के रूप में जारी) का पंजीकरण पंजीकरण पर पोर्ट सीमाशुल्क भवन में संबंधित निर्यातक द्वारा मैन्युअल रूप से कराया जाना चाहिए।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28एएए के अनुसार, जहाँ किसी व्यक्ति को जारी कोई उपकरण मिली-भगत या जानबूझकर दिये गये गलत वक्तव्य या कार्य के उद्देश्य के लिए तथ्यों को दबाकर या विदेश व्यापार (विकास और नियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो और ऐसा उपकरण अधिनियम के प्रावधानों, नियमों या जारी अधिसूचना के अंतर्गत, जिस व्यक्ति को लाइसेंस जारी किया गया है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा प्रयोग किया गया हो, ऐसे उपकरण के प्रयोग से संबंधित शुल्क पर कभी भी किसी प्रकार की छूट या डेबिट नहीं किया जाना चाहिए और उक्त उपकरण जिस व्यक्ति को जारी किया गया है, उससे इस शुल्क की वसूली की जानी चाहिए। जिस व्यक्ति को स्क्रीप जारी किया गया है, उस पर कार्रवाई अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत वास्तविक निर्यातक पर की गई कार्रवाई बिना किसी पूर्वाग्रह के की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने डीजीएफटी डाटा (31 मार्च 2015 तक) तथा सीमा शुल्क विभाग (आईसीईएस) 31 मार्च 2015 तक द्वारा अनुरक्षित लाईसेंस डेबिट विवरणों का विश्लेषण किया जिसमें यह पता चला कि एफटीपी के अध्याय 3 के अंतर्गत जारी लाइसेंस के संबंध में स्क्रीप के पंजीकरण में छलसाधन/निम्नलिखित विधियों के परिनियोजन द्वारा सक्रिय के प्रयोग उदा. अनिवार्य 10 अंको की संख्या के स्थान पर एक/दो/तीन अंकों की स्क्रीपों का अनुचित पंजीकरण, आयातों के लिए अननुमत पंजीकरण लाईसेंस (स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट प्रतिमानों (सियॉन) के बिना), विभिन्न बंदरगाहों पर शुल्क क्रेडिट स्क्रीप का अधिक प्रयोग के द्वारा शुल्क क्रेडिट के अधिक प्रयोग किया जा रहा था।

मामलों का वर्णन निम्नानुसार है:

2017 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 1 (अनु सं. 4.1.1 से 4.1.5) में इस प्रकार के मामले दर्शाये गये हैं।

2.1.1 स्क्रिपों के अनुचित पंजीकरण के कारण शुल्क क्रेडिट स्क्रिपों का अनुचित प्रयोग:

सीमाशुल्क विभाग द्वारा रखे गए लाइसेंस डेबिट विवरण (मार्च 2015 तक) के विश्लेषण से पता चला कि चेन्नई समुद्र बंदरगाह पर 70 मामलों में एक/दो/तीन अंकों के स्क्रिप नंबर पंजीकृत थे और 4.17 करोड़ की राशि के शुल्क छूट के वस्तु आयात करने के लिए प्रयुक्त की गई।

चूंकि ये स्क्रिप संख्या किसी भी जेडीजीएफटी कार्यालय द्वारा जारी नहीं की गई थी जैसाकि डीपीएफटी डम्प डाटा में देखा जा सकता है, यह मामला चेन्नई समुद्र सीमा शुल्क प्राधिकारियों के सम्मुख (मार्च 2016/मार्च 2017) स्क्रिपों की सत्यता जांचने के लिए प्रस्तुत किया गया और यदि आवश्यकता हो तो, उक्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई भी की जाए।

समुचित मान्यता नियंत्रण के न होने के कारण, आईसीईएस प्रणाली में कमियों और सीमाशुल्क को डीजीएफटी द्वारा मैनुअल अंतरण से प्रणाली को निरंतर दुरूपयोग के प्रति असुरक्षित बना दिया है, जिससे नकली लाइसेंस के पंजीकरण हो रहे है।

सहायक आयुक्त (एसी) सीमा शुल्क, चेन्नई ने कहा (अप्रैल 2017) कि आयातों प्रमाणन हेतु स्क्रिप की प्रति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये हैं और मामले में तेज़ी लाने के लिए सभी आयातको के प्रति अलर्ट जारी किये गये हैं।

स्क्रिपों के दुरूपयोग के संबंध में एसी ने आगे कहा कि विभाग के समक्ष ऐसे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गऐ है। तथापि, स्क्रिपों के प्रमाणन के बाद तथ्य सूचित किये जाऐंगे और प्रगति की सूचना दी जाएगी।

सीबीईसी और डीजीएफटी इस मामले की जांच करेंगे और ऐसे मामलों की पुनरावृति से बचने और राजस्व की रक्षा के लिए सुरक्षात्मक कार्रवाई करेंगे।

2.1.2 स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट (सियॉन) के बिना आयातों के लिए लाईसेंस का अनियमित पंजीकरण और 10 अंकों से अधिक स्क्रिप संख्या

आईसीईएस ईडीआई डाटा (मार्च 2015 तक) की नमूना जांच के पता चला कि दिनांक 9 फरवरी 2010 का लाईसेंस संख्या 04101011388 सं. 10 अंकों से ज्यादा था और इस प्रकार एक वैध लाईसेंस नहीं है, चेन्नई समुद्र बंदरगाह पर गलती से पंजीकृत हुआ था और आयातों पर पूर्व निश्चित शुल्क ₹ 29.41 लाख था। लेखापरीक्षा ने डीजीएफटी, ईडीआई लाइसेंस डाटा से सत्यापित किया कि वह लाईसेंस संख्या किसी भी जेडीजीएफटी कार्यालय द्वारा जारी नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने देखा कि लाईसेंस का प्रयोग वस्तुओं के जैसे कि लेक्टॉज़, ऑरेंज जूस और रेड ग्रेप कॉनसंट्रेट के शुल्क मुक्त आयात के लिए प्रयोग किया गया, जो कि अननुमत था क्योंकि एफटीपी खंड II में इन वस्तुओं के लिए कोई सियॉन उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, चेन्नई समुद्र बंदरगाह पर केवल अवैध लाईसेंस ही पंजीकृत नहीं हुऐ, अवैध लाईसेंस पर ₹ 29.41 लाख का शुल्क की त्रुटिक्श छोड़ दिया गया था, जो कि अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत कार्रवाई करने के साथ-साथ वसूली योग्य भी था।

इस मामले की जानकारी (अप्रैल 2016), चैन्नई समुद्र सीमाशुल्क को लाईसेंस की सत्यता जांचने और यदि आवश्यकता हो तो, उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई भी करने के लिए दी गई। सीमा शुल्क विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

2.1.3 विभिन्न बंदरगाहों पर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का अधिक प्रयोग

डीजीएफटी, मुम्बई ने दिनांक 07 जुलाई 2010 को लाईसेंस संख्या 01310582246 शुल्क छूट पास बुक (डीईपीबी) निर्यात के पश्चात (हस्तांतरणीय) के अंतर्गत सीआईएफ मूल्य ₹ 50.45 लाख के साथ पंजीकरण बंदरगाह INLDH6 (लुधियाना) पर जारी किया। सीमाशुल्क डाटा प्रणाली में यह देखा गया कि डीईपीबी स्क्रिप पंजीकृत किया गया और दो बार दुरूप्रयोग किया गया, लाईसेंस संख्या 310582246 दिनांक 07 जुलाई 2010 बंदरगाह/साईट INLDH6 और सं. 785193/09/2010 INNSAI (न्हावा शेवा समुद्र)। परिणमस्वरूप ₹ 50.45 लाख की स्क्रिप का अधिक उपयोग/दुरूपयोग हुआ।

नवम्बर 2016/मार्च 2017 में विभाग को यह इंगित किया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

डीजीएफटी, नई दिल्ली, वाणिज्य विभाग ने विगत वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (2017 की एआर सं. 01) में निर्दिष्ट समान मामलों पर अपने उत्तर (जून 2017) में कहा कि ये मामले राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और सीमा शुल्क प्रणाली को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिपों के झूठे पंजीकरण के कारण गलत प्रयोग से रोकने के लिए उन्नयन किया जाना चाहिए। डीजीएफटी मार्च 2017 में राजस्व अन्वेषण निदेशालय (डीआरआई) को अध्याय 3 की सभी स्क्रिप का डाटा डंप पहले की उपलब्ध करा चुका है क्योंकि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं।

विगत वर्ष के समान मामलों के संदर्भ में सीवीईसी ने कहा (जुलाई 2017) के आईसीइएस 1.5 लाइसेंस संख्या के रूप में केवल 10 डिजिट संख्या के पंजीकरण को अनुमत करने के लिए उचित रूप से परिवर्तित कर दिया (दिसम्बर 2016) है और यह भी सुनिश्चित किया कि ऐसी 10 डिजिट अंक संख्या विशिष्ट (जुलाई 2017) है। यद्यपि, उत्तर में स्क्रिप के अधिक उपयोग/गलत-उपयोग के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

इसके अतिरिक्त, सीबीइसी ने कहा कि एफटीपी 2015-20 के अंतर्गत सभी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त किये जा रहे हैं इसलिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के किसी मानदंड में जैसे गलत डाटा धोखा धड़ी आदि को मैन्यूल रूप से परिवर्तित नहीं किया जा सकता था।

सीबीइसी डीआरआई द्वारा की गई जांच के लेखापरीक्षा परिणाम और मामले में की गई कार्रवाई की सूचना दी जा सकती है।

इस संदर्भ में धोखाधड़ी आदि रोकने के लिए आईसीइएस 1.5 में किये गये परिवर्तनों के बारे में सीबीइसी उत्तर, के सत्यापन हेतु लेखापरीक्षा के लिए सीबीइसी प्रासंगिक आईसीइएस 1.5 डाटा उपलब्ध कर सकती है।

2.2 अग्रिम प्राधिकरण योजना

2.2.1 निर्यात दायित्व का पूरा न करना

एफटीपी 2004-09 के पैराग्राफ 4.1.3 और कार्यपद्धति विवरण पुस्तिका (एचबीपी) 2004-09 खण्ड I, के पैराग्राफ 4.22 अनुसार एक अग्रिम प्राधिकरण (एए) ड्यूटी फ्री इनपुट के आयात के लिए जारी किये जाते है जिनके प्रति निर्दिष्ट निर्यात दायित्व (इओ) प्राधिकरण जारी करने की तिथि से 36 महीनों के अंदर पूर्ण करना था। इओ पूरा करना या दो महीनों की निर्दिष्ट अवधि के अंदर इओ पूरा करने के पक्ष में प्रासंगिक सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता के मामले में, आरएलए आयातक को आगे का प्राधिकार नहीं देगा और विधिनुसार (एचबीपी के पैराग्राफ 4.24.1 और 4.28) के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई सहित अप्रयुक्त आयातित सामान पर सीमाशुल्क ब्याज सहित की वसूली के लिए प्राधिकार और उपक्रम की शर्तें लागू करेगा।

मैसर्स हिमाद्री केमीकल्स और इंड्रस्ट्रीज लिमिटेड, कोलकाता ने 36 महीनो की अवधि के अंदर अर्थात जुलाई 2014 तक 'कोल पिच' (बाईडंर पिच) के 23300 एमटी निर्यात दायित्व के लिए, 'कोल टर पिच' का 26625 एमटी ड्यूटी फ्री आयात हेतु दो एए (दोनो जुलाई 2011 में) जारी किये गये थे। फर्म ने कुल ₹ 12.48 करोड़ के सीमा शुल्क की छुट का लाभ उठाते हुए अगस्त 2011 तथा जनवरी 2012 के बीच कोलकाता (समुद्र) पोर्ट से 30 परेषणों में शुल्क मुक्त इनपुटों का 16625 एमटी का आयात किया। परन्तु निर्दिष्ट ईओ अवधि की समाप्ति के बाद आठ महीने में ईओ की पूर्ति के समर्थन में कोई भी दस्तावजे प्रस्तुत नही किया गया, जैसा कि मार्च 2015 में लेखापरीक्षा मे नोटिस किया गया था। निर्यात के सबूतों अभाव में, ₹ 18.92 करोड़ की राशि के ब्याज सहित उठाए गए शुल्क मुक्त लाईसेंसी से वसूली योग्य था।

इस पर ध्यान दिया जाने पर (मार्च 2015/मार्च 2017), आरएलए कोलकाता ने एक लाईसेंस में निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाण पत्र (ईओडीसी) प्रस्तुत किया (फरवरी 2017) जिसमें निर्यातक ने इओ को मात्रा वार पूरा किया। निर्धारित मूल्य वृद्धि को प्राप्त करने में कमी के लिए, ₹ 0.09 लाख की संयोजन शुल्क की उगाही की गई थी।

दूसरे लाईसेंस के संदर्भ में आरएलए ने आगे बताया कि ईओ में कमी को शुल्क के भुगतान (₹ 25.43 लाख) तथा ब्याज (₹ 34.19 लाख) को विनियमित किया गया था। हालांकि रिकार्डों के सत्यापन पर लेखापरीक्षा ने गलत परिकलन के कारण ₹ 20.70 लाख की कम वसूली तथा ₹ 14.32 लाख के ब्याज को नोटिस किया। सूचित (अप्रैल 2017) किये जाने पर, आरएलए कोलकाता ने रिपोर्ट किया कि फर्म को (जून 2017) ₹ 20.70 लाख के बकाया शुल्क तथा ₹ 14.32 लाख के ब्याज के विषय में सूचित किया गया है।

हालांकि दोनों प्राधिकरणों में इओ के पूर्ति के प्रति दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण में विलंब के लिए कोई कार्रवाई नही की गई। ऐसी घटना ने केवल वांछित निर्यातों को बढावा देने के लिए योजना की विफलता का संकेत है, बल्कि वे आयुक्तालयों में कमजोर मोनीटरिंग प्रणाली को भी दर्शाता है। जिनके फलस्वरूप ईओ की अवधि की समाप्ति के तीन वर्षो के बाद भी ब्याज सहित देय राजस्व सरकार को प्राप्त नहीं है।

2.3 निर्यात उन्मूख युनिटें (ईओयूज)

2.3.1 डाटीए मंजूरी पर शुल्क कर की कम उगाही

एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 6.8 (ए) के अनुसार रत्न और आभूषणों युनिटों के अलावा युनिटें रियायती शुल्कों के भुगतान पर सकारात्मक निवल विदेशी विनिमय[12] (एनएफई) की पूर्ति के अधीन निर्यातों के बोर्ड (एफओबी) मूल्य पर 50 प्रतिशत तक का निशुल्क माल बेच सकती है। डीटीए बिक्री के अधिकार में, युनिट माल के समान अपने उत्पादों में डीटीए में बेच सकती जो युनिटों से आयातित की जाती है अथवा आयातित की जानी है। युनिटें जिनमें एक से अधिक उत्पाद का विनिर्माण एवं निर्यात होता है , उन शर्तो के अधीन कुल

[12] निवल विदेशी विनिमय निर्यात पर अर्जित आयात तथा विदेशी विनिमय पर विदेशी विनिमय के कुल बहिर्गमन के बीच अंतर है।

डीटीए बिक्री एफओबी के 50 प्रतिशत के कुल अधिकार से अधिक न हो, विशिष्ट उत्पादों के निर्यात का एफओबी मूल्य के 90 प्रतिशत तक डीटीए में इन उत्पादों में से किसी की बिक्री कर सकती है।

मैसर्स पैंटेयर वाटर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, एक 100 प्रतिशत ईओयू, वरना, गोआ को औद्योगिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट/उपकरण (प्रैसर वैसल्स) के लिए संघटकों के विनिर्माण एवं आयात हेतु मई 2003 में अनुमति पत्र (एलओपी) जारी किया गया था। युनिट ने वाटर पम्पस कस्टम टैरिफ शीर्षक (सीटीएच) (84137070), संघटक (सीटीएच 84212190) फिल्टर वाल्वज (सीचीएच 84818030) तथा एचआरओ मेम्ब्रेनस (सीटीएच 84219900) का निर्माण किया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि प्रति वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान, ईओयू ने एफटीपी की पैराग्राफ 6.8 (ए) के तहत निर्धारित शर्तो का उल्लंघन किया था कि कुल डीटीए बिक्री निर्यात के एफएबी मूल्य के 50 प्रतिशत के सभी अधिकार से अधिक नही होनी चाहिए। युनिट ने उपरोक्त अवधि के दौरान ₹ 382.52 करोड़ की एफओबी मूल्य सहित उत्पादों का निर्यात किया था तथा ₹ 326.83 करोड़ की डीटीए बिक्री की गई थी जो निर्यात उत्पादों के निर्धारित 50 प्रतिशत एफओबी मूल्य से अधिक थी। इस प्रकार ₹ 5.56 करोड़ शुल्क की कम उगाही को शामिल करते हुए ₹ 135.58 करोड़ तक डीटीए में अधिक मंजूरी थी।

यह जनवरी 2016/जून 2017 में विभाग को बताया गया था, उसका उत्तर प्रतीक्षित (सितम्बर 2017) है

2.3.2 न्यूनतम मूल्य वृद्धि की गैर-प्राप्ति

एफटीपी 2009-14 के अनुसार, 100 प्रतिशत निर्यात उन्मूख युनिटे (ईओयूज) सेक्टर विशिष्ट प्रावधानों के सिवाए जहाँ पर उच्च मूल्य वृद्धि अपेक्षित होगी, वहा उत्पादन शूरूआत से आरम्भ के पांच वर्षो के ब्लॉक में संचयी रूप से सकारात्मक एनएफई अर्जन करना है। चाय के क्षेत्र में 100 प्रतिशत ईएयू के लिए न्यूनतम मूल्य वृद्धि 50 प्रतिशत (एचबीपी का परिशिष्ट 14-1-सी, खण्ड-।) निर्दिष्ट की गई है। एनएफई में सफलता प्राप्त न करने पर, सकारात्मक एनएफई के संबंध में गैर प्राप्त अंश के रूप में उस भाग को प्राप्त की जाने वाली शुल्क,

दिनांक 31 मार्च 2003 की अधिसूचना सं. 52/2003-सी.शु के संबंध में लागू ब्याज सहित वसूली योग्य है।

विकास आयुक्त, फाल्टा एसईजेड़ के तहत एक 100 प्रतिशत ईएयू, मैसर्स स्विस सिंगापूर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, कोलकाता (पूर्व मैसर्स बीजीएच एक्सिम लिमिटेड) ने बल्क चाय, चाय बैग, तथा चाय पैकेट के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए अनुमति धारित पत्र ₹ 887.37 लाख के मूल्य का आयात 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए तीन ब्लॉक वर्षों के दौरान था जिसके लिए ₹ 1331.06 लाख पर मूल्य 50 प्रतिशत मूल्य वृद्धि प्राप्त करने के लिए निर्यात किया जाना आवश्यक था। निर्धारित निर्यात दायित्व के प्रति, युनिट ने 2014-15 तक ब्लॉक वर्ष की समाप्ति पर ₹ 1192.71 लाख मूल्य के माल का निर्यात किया था। तदानुसार, मूल्य वृद्धि में 10.39 प्रतिशत की कमी थी जिसके लिए ब्याज सहित ₹ 50.14 लाख के लिए आनुपातिक शुल्क की पूर्ति ईएयू से वसूली योग्य थी।

इस पर ध्यान दिये जाने पर (दिसम्बर 2015), सहायक विकास आयुक्त, फाल्टा एसईजेड ने (मार्च 2017) मैसर्स स्विस सिंगापुर प्रा.लि. से प्राप्त उत्तर की एक प्रति अग्रेषित की जिसमे फर्म ने 50 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि की गैर-प्राप्ति को स्वीकृत करते हुए यह कहा कि संविधि के अनुसार 50 प्रतिशत की न्यूनतम मूल्य वृद्धि प्राप्त करना अनिवार्य नही है बल्कि यह केवल "जोर देता" है जिसका अर्थ है कि यह एक अनिवार्य मांग नही है।

फर्म का उत्तर एचबीवी, खण्ड़-I के परिशिष्ट 14-1-सी के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नही है।

विकास आयुक्त, फाल्टा, एसईजेड ने लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार करते हुए फर्म को जारी एक कारण बताओं नोटिस जारी किया (अगस्त 2017) है। आगे प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

2.4 मानित निर्यात त्रुटि/शुल्क त्रुटि योजना

2.4.1 आयातित माल पर मानित निर्यात त्रुटि का अनियमित अनुदान

एफटीपी, 2009-14 के पैराग्राफ 8.1 के अनुसार "मानित निर्यात" उन संव्यवहारों के संदर्भ में है जिसमें माल की पूर्ति ऐसी पूर्तियों के लिए नही की

जाती है जो भारतीय रूपये में या निशुल्क विदेशी विनिमय में प्राप्त हो। आगे, एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 8.2 के अनुसार, माल की पूर्ति मुख्य/उप संविदाकार द्वारा एफटीपी के तहत "मानित निर्यात" के रूप में मानी जाएगी, बशर्ते माल भारत में निर्मित हो।

दिनांक 28 दिसंबर 2011 के डीजीएफटी के परिपत्र सं. 50/2009-20014 (आरई-2010) के अनुसार स्पष्ट किया गया कि पूंजीगत माल के मामले में संविदाकार/उप संविदाकार द्वारा आयातित किया गया है तथा उसी रूप में प्रोजेक्ट प्राधिकारियों को आपूर्ति की गई, ऐसे आयातों पर सीमा शुल्क का भुगतान एफटीपी के पैराग्राफ 8.3 (बी) के तहत मानित निर्यात शुल्क ड्राबैक के रूप में वापिस नही किया जा सकता है।

2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए जेटी डीजीएफटी, अहमदाबाद द्वारा दिए गए अन्तिम रूप में टर्मिनल उत्पाद शुल्क/ड्राबैक के वापसी रिकार्ड की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि मैसर्स एल एण्ड़ टी (संविदाकार) ने युग्मको, एफएलआरएस केबल्स, गैसकेट आदि के रूप में विभिन्न मदों का आयात किया तथा प्रोजेक्ट प्राधिकारियों (चेन्नई मेट्रो रेल लि.) को उसी रूप में आपूर्ति की तथा एफटीपी के पैराग्राफ 8.2(डी) के तहत मानित निर्यात लाभांश अनुमत था। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, मुख्य/उप संविदाकार द्वारा माल की पूर्ति एफटीपी के तहत "मानित निर्यात" के रूप में माना जाएगा, बशर्ते माल का निर्माण भारत में हो। चूंकि विषय-वस्तु माल का भारत में निर्माण नही हुआ था, ₹ 3.62 करोड़ का त्रुटि का अनुदान उचित नही था।

आगे, यह भी नोटिस किया गया था कि प्रोजोक्ट प्राधिकारी ने दिनांक 3 फरवरी 2015 के प्रमाणपत्र (परिशिष्ट 22-सी) के अनुसार केवल ₹12 करोड़ पर आयातित मूल्य अनुमत था। हालांकि संविदाकार ने ₹12.75 करोड़ के मूल्य के माल का निर्यात किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹3.62 करोड़ के किये गए भुगतान की कुल वापसी में शामिल ₹19.32 लाख की वापसी राशि को शामिल करते हुए ₹74.73 लाख का अत्याधिक आयात हुआ।

यह बताए जाने पर (दिसंबर 2016), विभाग ने बिना साक्ष्य प्रस्तुत किए बताया (अप्रैल 2017) कि फर्म ने सामान की उस रूप में आपूर्ति नही की थी

तथा घरेलू प्राप्त या आयात विभिन्न इनपुटों का उपयोग मूल्य वृद्धि के उपरांत किया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नही है क्योकि संविदाकार ने अपने वापसी दावे में यह दर्शाया था कि प्रोजेक्ट के लिए आयातित माल इनपुटस के रूप में आपूर्ति किया गया था। इस प्रकार से, प्रोजेक्टट की आपूर्ति से पूर्व आयातित माल पर आगे कोई प्रक्रिया नही हुई है। इसलिए कोई मूल्य वृद्धि नही की गई थी तथा माल की उस रूप में आपूर्ति की गई थी। विभाग को उनके उसके उत्तर के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध सहित मई 2017 में यह बताया गया था। विभाग की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

2.4.2 निर्यात आय पूरी न प्राप्त करने पर ड्राबैक की गैर वसूली

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर ड्राबैक नियम, 1995 के नियम 16ए के अनुसार, जहाँ ड्राबैक की राशि का भुगतान निर्यातक को किया गया है परन्तु निर्यात आय विदेशी विनिमय प्रबंधन (माल एवं सेवा का निर्यात) विनियम 2000 के विनियम 9 के अनुसार निर्दिष्ट समय में प्राप्त नही की गई, तो भुगतान की गई ड्राबैक राशि की वसूली की जानी चाहिए। सीमा शुल्क अधिकारी को वसूली यानि नोटिस जारी करने, वसूली के लिए आदेश पास करने के लिए कार्रवाई आरम्भ करनी चाहिए, यदि निर्यात आय की प्राप्ति का कोई साक्ष्य 30 दिनों के अन्दर प्रस्तुत नही किया जाता है तथा प्रभावी वसूली ऐसे आदेश के 30 दिनों में की जानी चाहिए।

अर्धवार्षिक निर्यात बकाया विवरणी (एक्सओएस) आरबीआई, कोलकाता से प्राप्त हुई, 30 जून 2015 की संवीक्षा इसके साथ-साथ इंडियन कस्टम ईडीआई सिस्टम (आईसीईएस) पर उपलब्ध ऑनलाईन सूचना से पता चला कि बिक्री प्रक्रियां जनवरी तथा अप्रैल 2014 के बीच निर्यातित 147 परेषणों के संदर्भ में निर्धारित/विस्तृत अवधि के बाद भी विक्रय राशि प्राप्त नही हुई थी जिसके लिए ₹1.84 करोड़ की ड्राबैक सीमाशुल्क कमीशनरी (पोर्ट) कोलकाता द्वारा मंजूर की गई थी। लेखापरीक्षा ने नोटिस किया कि एक्सओएस के अनुसार वसूली की नियत अवधि के बाद 44 दिनों से लेकर 660 दिनों तक की अवधि के लिए वसूली हेतु कोई कार्रवाई नही की गई थी।

इस पर ध्यान दिये जाने पर (जनवरी 2016), विभाग ने सूचित (फरवरी/मार्च 2017) में किया कि ₹ 1.49 करोड़ की राशि वाले 112 शिपिंग बिल्स की ड्राबैक लागू ब्याज के अलावा वसूल की गई थी जिसमें से 25 मामलों में 2.55 लाख की वसूली गई, जबकि ₹ 27.10 लाख के सात मामलों में मांगो की पुष्टि की गई था शेष 80 मामले अधिनिर्णयन थे। 35 मामलों में निर्यातकों द्वारा बैंक वसूली प्रमाणपत्र (बीआरसीज) प्रस्तुत किये गए थे तथा इस प्रकार से इन्हे या तो हटा दिया गया या आगे जांचा नहीं गया।

आगे प्रगति प्रतीक्षित (सितम्बर 2017) है।

2.5 भारत से संवित योजना (एसएफआईएस)

2.5.1 एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट का गलत अनुदान

एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 3.12.4 के अनुसार, एचबीपी खण्ड-I के अुनबंध 41 में सुचीबद्ध सेवाओं के सेवा प्रदाता, भारत से संवित योजना (एसएफआईएस) के अंतर्गत मौजुदा वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित मुफ्त विदेशी विनिमय (एफएफई) के 10 प्रतिशत के समान ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के लिए पात्र हैं। एफटीपी के पैराग्राफ 9.53(ii) के अनुसार, 'सेवा प्रदाता' का अर्थ भारत में अन्य किसी देश के सेवा उपभोक्ता से भारत से 'सेवा' की आपूर्ति उपलब्ध कराने वाले किसी व्यक्ति से है। इसलिए, पैराग्राफ 9.5.3(ii) के अनुसार सेवा प्रदाताओं को (एसएफआईएस) शुल्क क्रेडिट स्वीकृत करते हुए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भारत में किसी अन्य देश से सेवा उपभोक्ता को सेवाएं आपूर्त की गई थी।

मैसर्स शास्त्र विश्वविद्यालय, तंजावुर को एचबीपी, खण्ड-I के अनुबंध 41 की क्रम सं. 4सी द्वारा कवर की गई 'उच्चतर शिक्षा सेवा' के लिए (एसएफआईएस) के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी किये गये (सितंबर 2014)। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने इंगित किया कि छात्रों से विश्वविद्यालय द्वारा 'ट्यूशन फीस' के रूप में प्रभार संग्रहित किये गये थे। यद्यपि, ट्यूशन फीस प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची की जांच की गई थी और यह पाया गया कि इसमें से अधिकतर भारतीय थे।

चूंकि विश्वविद्यालय ने पैराग्राफ 9.53 (ii) के रूप में यह सुनिश्चित किये बिना कि क्या सेवा उपभोक्ता भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश से संबंधित है; एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट का दावा किया, शुल्क क्रेडिट का अनुदान उचित नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.02 करोड़ के (एसएफआईएस) के अंतर्गत ड्यूटी की गलत स्वीकृति ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

इसे इंगित (जनवरी 2016/जून 2017) किये जाने पर, डीजीएफटी, नई दिल्ली ने कहा (अगस्त 2017) कि फर्म को उनकी पात्रता के सत्यापन हेतु छात्रों के विवरण प्रस्तुत करने और ब्याज सहित ₹ 1.02 करोड़ के पूर्ण ड्यूटी क्रेडिट को जमा करने के लिए कहा गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

2.5.2 लेट कट का गैर/कम कार्यान्वयन

एचबीपी, खण्ड-1, 2009-14 का पैराग्राफ 3.6(बी) में कहा गया है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान एसएफआईएस के अंतर्गत विदेशी विनिमय हेतु ड्यूटी स्क्रिप के अनुदान के लिए एक आवेदन मौजूदा वित्तीय वर्ष हेतु प्रथम आवेदन के साथ लागू आवेदनकर्त्ता के विकल्प पर निर्दिष्ट दस्तावेजों सहित मासिक/त्रैमासिक/अर्ध वार्षिक/वार्षिक आधार पर फाईल किया जाएगा। आवेदन फाईल करने के लिए अंतिम तिथि प्रासंगिक महीने/त्रैमास/अर्ध वर्ष/वार्षिक से 12 महीने की होगी। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन प्रस्तुत करने में विफलता के मामले में, लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को एचबीपी खण्ड-1 के पैराग्राफ 9.3 में निर्दिष्ट लेट कट को लागू करेंगे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि मैसर्स. जॉन इनर्जी लिमिटेड को अर्जित विदेशी विनिमय हेतु ₹ 6.13 करोड़ कुल ड्यूटी क्रेडिट राशि हेतु जेडीजीएफटी अहमदाबाद द्वारा तीन एसएफआईएस लाइसेंस जारी किये (अक्तूबर 2013 से मार्च 2014)। लेखापरीक्षा ने पाया कि लाइसेंस धारक ने निर्धारित तिथि से एक वर्ष से अधिक के बाद आवेदन फाईल किये थे, यद्यपि आरएलए ने दो लाइसेंस धारकों पर कोई लेट कट लागू नहीं किया था जबकि एक मामले में लागू 10 प्रतिशत के स्थान पर पांच प्रतिशत पर लेट कट लागू किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 51.06 लाख के लेट कट का गैर/कम उदग्रहण किया गया जो वसूली योग्य है।

जनवरी 2017 में विभाग को इसके बारे में सूचित किया गया, इनका उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

2.6 इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट इंसेटिवाईजेशन स्कीम (आईईआईएस)

2.6.1 निर्यात विवरण के गैर-सत्यापन के कारण अधिक ड्यूटी क्रेडिट की अनुमति

एफटीपी, 2009-14 के पैराग्राफ 3.14.5 के अनुसार, (आईईआईएस) के अंतर्गत एक निर्यातक विगत वर्ष 2012-13 से वर्ष 2013-14 के दौरान किए गए निर्यातों के एफओबी मूल्य में वृद्धि का दो प्रतिशत दर पर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के लिए पात्र है। इस उद्देश्य के लिए अयोग्य निर्यात एफटीपी के पैराग्राफ 3.14.5 (डी) में सूचीबद्ध थे।

लेखापरीक्षा में, वर्ष 2012-13 के लिए इन निर्यातकों के संबंध में सीमा शुल्क प्राधिकरण से प्राप्त किये गये आईसीइएस निर्यात डाटा के साथ मै. एसएसके एक्सपोर्ट लि.मि. और दो अन्य निर्यातकों द्वारा किये गये दावों के रूप में निर्यातों के विवरण के प्रति सत्यापन से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2013-14 के लिए इंक्रीमेंट एक्सपोर्ट वृद्धि के आंकलन के लिए 62 शिपिंग बिलों के अंतर्गत आंकलित ₹ 17.02 करोड़ का निर्यात मूल्य विगत वर्ष (2012-13) निर्यातकों ने शामिल नहीं किया। इसी प्रकार, 2012-13 से 2013-14 में निर्यात वृद्धि का अधिक कथन हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 31.48 लाख के ड्यूटी क्रेडिट को अधिक स्वीकृति दी गई। अपर महानिदेशक, विदेशी व्यापार कार्यालय, कोलकाता अपने दावों में निर्यातकों द्वारा घोषित किये गये निर्यात की पुष्टि करने में विफल रहा।

इसे इंगित किये जाने पर (मार्च 2016), एडीजीएफटी, कोलकाता ने अधिक ड्यूटी क्रेडिट राशि को वापस करने के लिए कहा (मई/जून 2016)। इसके बाद, विभाग को निर्यातक (मैसर्स एसएसके एक्सपोर्टस लिमिटेड) का उत्तर प्रस्तुत (अगस्त 2016) किया गया जिसमें यह कहा गया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया अघोषित निर्यात अग्रिम प्राधिकरण के अंतर्गत किया गया था।

विभाग का उत्तर तर्क पूर्ण नहीं था क्योंकि अग्रिम प्राधिकरण के अंतर्गत निर्यात आईईआईएस उद्देश्य हेतु निर्यात अयोग्य नहीं था, इस लिए उन्हें निर्यात में वद्धि की गणना के लिए निर्यात में शामिल किया जाना चाहिए।

अन्य निर्यातक (मैसर्स मिलशा एग्रो एक्सपोर्ट प्राईवेट) के मामले में, इसके अतिरिक्त विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2016) कि निर्यातक ने केवल दो निर्यात के मामलो में स्वीकृति दी जो लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये नौ मामलों में से थे। यद्यपि, www.icegate.gov.in, के बाद के सत्यापन पर, शिपिंग बिल आदि के ऑनलाईन फाइलिंग और चैकिंग स्टेटस के लिए सीमाशुल्क वैबसाईट निर्यातकों से संबंधित थी। इसलिए, उत्तर तर्क पूर्ण नहीं था।

यह विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2017), यद्यपि, उनका उत्तर प्रतिक्षित है (सितम्बर 2017)।

विभाग द्वारा इंगित किये जाने के बाद भी निर्यातक के सभी निर्यात सत्यापित करने में विभाग की विफलता कमजोर निगरानी और संवीक्षा के बारे में लेखापरीक्षा आपत्ति को सुदृढ़ बनाती है।

2.7 भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की योजना (एमइआईएस)

2.7.1 विनिमय दर की गलत स्वीकृति के कारण अधिक ड्यूटी क्रेडिट दिया जाना

भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात योजना एफटीपी 2015-20 में आरंभ की गई योजनाओं में से एक है, योजना (एमइआईएस) सामान/उत्पाद; जो भारत में उत्पादित/निर्मित किया जाता है, विशेषत: वह जिनमें अधिक निर्यात संभावना, रोजगार संभावना और इसके कारण भारत की निर्यात प्रतियोगिता को बढ़ा रहा है, में शामिल आधारभूत अकुशलताएं और संभावित लागत समायोजित करने के लिए है।

एफटीपी 2015-20 के पैराग्राफ 3.04 के अनुसार, अनुलग्नक 3बी सूची के अनुसार अधिसूचित बाजारों से अधिसूचित माल/उत्पाद का निर्यात एमईआईएस के अंतर्गत रखा जाएगा। रिवार्ड की गणना के आधार पर मुफ्त विदेशी विनिमय में वसूले गये निर्यात के एफओबी मूल्य पर या मुफ्त विदेशी विनिमय में शिपिंग बिलों में दिये गये निर्यात के एफओबी मूल्य पर, जो भी कम हो, जब तक कि दूसरे को निर्दिष्ट न किया जाये। एचबीपी 2015-20 के पैराग्राफ 1.15(ए) यह भी दर्शाता है कि वसूला गया विदेशी विनिमय (इलैक्ट्रॉनिक बैंक समाधान प्रमाण पत्र में बैंक द्वारा दिये गये विवरण के अनुसार) ड्यूटी क्रेडिट

की गणना के उद्देश्य के लिए लैट एक्सपोर्ट ऑर्डर (एलइओ)[13] की तिथि तक सीबीइसी द्वारा प्रकाशित मासिक विनिमय दरों का प्रयोग करते हुए भारतीय रूपये में परिवर्तित किया जाएगा।

1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए जेडीएफटी, चेन्नै द्वारा एमईआईएस के अंतर्गत वसूली गई निर्यात प्राप्ति ड्यूटी क्रेडिट की संबंधित स्वीकृति के लिए रूपये के रूप में एफओबी मूल्य की गणना के लिए विनिमय दरों की नमूना जांच से पता चला कि 184 शिपिंग बिलों में, यूरो मुद्रा (2 अक्तूबर 2015 से 15 अक्तूबर 2015 के बीच एलइओ) के लिए विनिमय दर ₹ 72.30 उचित दर के प्रति ₹ 74 पर गलत रूप से स्वीकृति की गई थी जो एफओबी मूल्य की गणना के लिए एलइओ तिथि पर लागू था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.90 लाख की औसत एमईआईएस क्रेडिट की अधिक स्वीकृति दी गई।

जनवरी 2017 में विभाग ने यह इंगित किया था, उनका उत्तर प्रतिक्षित है (सितम्बर 2017)।

[13] लैट एक्सपोर्ट ऑर्डर निर्यात शिपमैंट के अंतर्गत भारत से बाहर माल ले जाने की अंतिम निर्यात वैधानिक प्रक्रिया है।

अध्याय III

सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत कार्यान्वयन

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के अंतर्गत सरकार पूर्णत: या उदग्रहण योग्य सीमाशुल्क पर पूर्णत: या किसी भाग से अधिसूचना में निर्दिष्ट, किसी निर्दिष्ट विवरण के माल के रूप में ऐसी परिस्थितियों में छूट प्रदान करने के लिए सशक्त है। सीमाशुल्क प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करते हुए कि छूट अधिसूचनाओं के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है कि उक्त अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट शर्तें छूट प्रदान करने से पहले पूरी की गई हैं। रिकॉर्ड (मई 2015 से अप्रैल 2017) की नमूना जांच के दौरान, ₹ 17.35 करोड़ के कुल राजस्व कार्यान्वयन सहित छूट के गलत दिये जाने के 17 मामले देखे गये थे। इनमें से, 13 मामलों की चर्चा आगामी पैराग्राफ में की गई है जिन्हें विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है और की गई वसूलियां/की गई वसूली कार्रवाईयों को **अनुबंध 5** में दिया गया है।

3.1 दिनांक 14 सितंबर 2007 की अधिसूचना सं. 102/2007 सी.शु. के अंतर्गत विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) का अनियमित प्रतिदाय

दिनांक 14 सिंतबर 2007 की अधिसूचना सं. 102/2007 सी.शु. के अनुसार बाद की बिक्री के लिए रखे गये आयातित माल उपरोक्त माल की बिक्री पर उपयुक्त बिक्री कर के भुगतान के अंतर्गत उक्त के प्रतिदाय के रूप में और प्रतिदाय दावे के साथ ऐसे आयातित माल के बिक्री के बीजकों की प्रति प्रदान कर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(5) के अंतर्गत उदग्राहय एचएएडी से छूट प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम (सीएसटी) 1956 की धारा 8 के अंतर्गत, यदि डीलर अंतर-राज्य व्यापार के दौरान अन्य पंजीकृत डीलर को माल बेचता है जिसे माल बेचा गया है उस पंजीकृत डीलर द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी से प्राप्त फॉर्म-सी में पूर्णत: फाईल और हस्ताक्षरित, उदघोषणा के प्रस्तुतीकरण सहित वह राज्य मूल्य संवर्धित कर (वैट) अधिनियम के अंतर्गत ऐसे माल पर लागू दर पर दो प्रतिशत या लागू दर जो भी अधिक हो पर सीएसटी अदा करने के लिए बाध्य होगा।

विभिन्न पद्धतियां लागू करके एसएडी के अनियमित प्रतिदाय के मामले लेखापरीक्षा ने पाये जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

अपेक्षित रिटर्न या सीएसटी/वैट भुगतान के बिना हस्तांतरित/बेचे गये माल पर एसएडी का प्रतिदाय

3.1.1 उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत एसएडी इस शर्तों के अंतर्गत होता है कि (i) उक्त अतिरिक्त शुल्क के भुगतान को दर्शाते दस्तावेज; (ii) आयातित माल की बिक्री के बीजक जिसके संबंध में उक्त अतिरिक्त शुल्क के प्रतिदाय का दावा किया गया है और (iii) उपयुक्त बिक्री कर या मूल्य संवर्धित कर, ऐसे आयातित माल की बिक्री पर जैसा भी मामला हो, के भुगतान को दर्शाते दस्तावेजों की प्रति आयातक उपलब्ध कराता है।

सीएसटी, अधिनियम 1956 के तहत, एक प्रधान कार्यालय से शाखा/एजेंट को माल का हस्तांतरण बिक्री के लिए राशि नहीं है और इस प्रकार के संव्यवहारों पर बिक्री कर उदग्रहाय नहीं होता है। इस प्रकार के मामलों में, सीएसटी अधिनियम 1956 की धारा 6ए(1) के अनुसार, भार यह सिद्ध करने के लिए कि माल का हस्तांतरण अन्यथा की तुलना में बिक्री के माध्यम से डीलर पर निहित है जिसके लिए उन्हें इस प्रकार के माल के परिवहन के साक्ष्य द्वारा विधिवत समर्थित निर्धारित विवरणों सहित घोषणापत्र (फार्म एफ में) प्रस्तुत करेगा।

सीमा शुल्क (बन्दगाह), कोलकाता के कमिश्नर ने मई और अगस्त 2013 के बीच प्रभावी 'पावर टिलर' के विदेश से प्रेषित पांच खेप माल के आयात के विरूद्ध जून 2014 में मैसर्स श्री अम्बिका आयरन इन्डस्ट्रीज, कोलकता के ₹ 22.25 लाख के एसएडी के प्रतिदाय की संस्वीकृति दी थी। यह बताया गया था कि आयातित माल हस्तांतरण के माध्यम से ओडिशा राज्य में ले जाया गया, तथापि, कम दर पर सीएसटी के भुगतान के लिए न तो स्टॉक हस्तांतरण के लिए फॉर्म एफ में अनिवार्य प्रमाण पत्र और न ही फार्म सी प्रतिदाय दावे के साथ प्रस्तुत किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने बीजको में कर पहचान संख्या (टिन) की अन्य अनियमितताओं/ गलत-घोषणा को नोटिस किया,

i. प्रेषित माल एजेंट (आसाम एसएआईआई प्रा.लि., ओडिशा) के लिए जारी किए गए उनके चालान सह कर बीजकों में मेसर्स श्री अम्बिका आयरन इन्डस्ट्रीज द्वारा दी गई कर सूचना संख्या (टिन) 19292692005,

वास्तव में मैसर्स आसाम एसएआईआई मोटरस प्रा.लि., नंदा मौलिक लेन कोलकाता-700006, पश्चिम बंगाल से संबंधित था, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाईट के रूप में सत्यापित हुआ था।

ii. माल प्रेषित एजेंट मेसर्स न्यू रॉयल मोटरस टिन सं. 2177650030 के द्वारा माल की बिक्री किया गया बताया गया था, उक्त टिन, ओडिशा सरकार के वाणिजियक कर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं था।

iii. मैसर्स रितेश साह और एसोसियेट्स सनदी लेखाकार (सदस्यता सं. 063069) द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र, अदिनांकित था।

चूंकि आयातकर्ता द्वारा उचित बिक्री कर एवं वैट, एसएडी के प्रतिदाय की ₹ 22.25 लाख के भुगतान के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना उपरोक्त अधिसूचना की शर्त 2(डी) को संतुष्ट नहीं करता हैं जो कि अनियमित था।

मामला मई 2015 में विभाग को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2017)।

अमान्य बिक्री बीजको के विरूद्ध एसएडी का प्रतिदाय

3.1.2 कोलकाता, सीमाशुल्क (बन्दरगाह) के कमिश्नरी ने मैसर्स पुआंग रीफ्रेक्टरीज ग्रुप कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लिए नवम्बर 2013 और मार्च 2014 के बीच आयातित माल की बिक्री के विरूद्ध नवम्बर 2014 में ₹ 11.64 लाख के एसएडी का प्रतिदाय संस्वीकृत किया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि उपयुक्त कर के लिए कोई साक्ष्य जमा नहीं किया गया क्योंकि दो प्रतिशत की रियायती सीएसटी दर पर बिक्री फार्म-सी में अनिवार्य घोषणा द्वारा समर्थत नहीं थे। इसलिये, माल के पांच प्रतिशत के बिक्री कर/वैट दर की उच्च दर पर बिक्री किये जाने चाहिए थे, जो कि नहीं किये गये थे।

हालांकि, उपरोक्त छः में से, पांच मामलों में दावे के सर्मथन में प्रस्तुत किये गये बिक्री बीजक अविश्वसनीय थे, क्योंकि दावे के साथ प्रस्तुत किये गये सीएसटी रिटर्न के प्रतिकूल में बिक्री बीजकों में ग्राहको के नाम और बिक्री की तिथि अलग-अलग थी।

इस प्रकार, दस्तावेजों की यर्थाथता जिस पर विभाग द्वारा प्रतिदाय की अनुमति दी गई थी, उसको लेखापरीक्षा द्वारा पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सका था। इसलिये, ₹ 11.64 लाख का प्रतिदाय अनियमित था। मामले को अप्रैल 2016/फरवरी 2017 में विभाग के नोटिस मे लाया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2017)।

फर्जी बीजकों के आधार पर एसएडी का प्रतिदाय

3.1.3 मैसर्स डैफोडिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आयातित माल के संबंध में कोलकाता बंदरगाह कमिश्नरी द्वारा कुल ₹ 10.26 लाख के एसएडी के दो प्रतिदाय दावे की अनुमति (अप्रैल/मई 2014) दी गई थी। तथापि, यह देखा गया कि स्टॉक हस्तांतरण न तो निर्धारित फार्म 'एफ' द्वारा और न ही प्रासंगिक अवधि के लिए कर रिटर्न (भाग-1: अन्य राज्यों से प्राप्त किये गए स्टॉक हस्तांतरण प्रेषित माल की सूची) में उल्लिखित था जिसका अर्थ यह था कि कोई स्टॉक हस्तांतरण नहीं था। इसके अतिरिक्त, प्रतिदाय दावे के सभी जमा किए गए परिशिष्ट में, प्रेषित माल एजेंट/थोक व्यापारी के माध्यम से की गई मात्रात्मक बिक्री भी शून्य दर्शायी गई थी। इस प्रकार, माल की अंतरराज्यीय गतिविधि को स्टॉक हस्तांतरित करने के संबंध में साक्ष्य की अनुपस्थिति में सीएसटी अधिनियम 1956 के अनुसार बिक्री के परिणाम के रूप में अवसरित किया जायेगा और जो बिक्री कर के लिए उत्तरदायी हैं। तदनुसार, तत्कालिक मामले में एसएडी के प्रतिदाय के लिए उचित बिक्री कर/वैट के भुगतान के साक्ष्य अंतरराज्यीय बिक्री से संबंधित दस्तावेज होगें और शाखा/एजेंट द्वारा बिक्री से संबंधित नहीं है, जैसा कि प्रस्तुत किया गया था।

यह भी देखा गया कि दो प्रतिदाय दावों के संबंध में प्रस्तुत किये गये बिक्री बीजकों को यद्यपि विभिन्न खरीदारो को माल वित्तीय वर्ष में जारी किया गया था, एक सीरियल नंबर माल बीजकों के फर्जी/काल्पनिक होने की संभावना का संकेत करते है और वैट/सीएसटी चालान से संबंधित नहीं है, जो कि उचित बिक्री कर/वैट के भुगतान को दिखा रहा है।

इस प्रकार, प्रत्यक्ष रूप से फर्जी बीजको के आधार पर दावा किए गए एसएडी के प्रतिदाय की ₹ 10.26 लाख की मूल्यराशि अनियमित थी और उपरोक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुपालन में नहीं थी।

इस ओर इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 2015), सीमा शुल्क कोलकाता बंदरगाह कमिश्नरी ने (फरवरी 2017) बताया था कि प्रतिदाय धनराशि की वसूली के लिए मांग सह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आगे की प्रगति प्रतिक्षित है (सितम्बर 2017)।

जाली सीए प्रमाणपत्र के आधार पर एसएडी का प्रतिदाय

3.1.4 कोलकाता बदंरगाह के सीमा शुल्क कमिश्नरी ने, तीन मामलों में मई और नवम्बर 2014 के बीच मैसर्स जागृती कंपोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स एस.के. टिम्बर एण्ड कंपनी के लिए एसएडी प्रतिदाय के लिए ₹ 10.78 लाख संस्वीकृत किये थे। अपने दावे के सर्मथन में आयातकर्ताओं ने उपरोक्त दो फर्मो के लिए जमा किए गए अपने प्रमाणपत्रों में कोलकाता के दो भिन्न पतो के साथ फर्म अग्रवाल एण्ड कंपनी (फर्म पंजीकरण सं. 322280 ई) के मालिक श्री पी.के. अग्रवाल (सदस्यता संख्या 056186) नामित सीए के एक प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान, फर्म के ब्यौरे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की वेबसाइट से सत्यापित किये गये थे (आईसीआईए) (www.icag.org) और यह पाया गया था कि सीए सदस्यता संख्या 056186 अग्रवाल पवन कुमार के नाम से पंजीकृत थी और पी.के. अग्रवाल के नाम से नहीं है जैसा प्रस्तुत किये गए दस्तावेज में दिया गया था। इसी प्रकार, पंजीकरण संख्या 322280ई 'अग्रवाल पवन एण्ड का.' जैसा कि उपरोक्त दो फर्मों के लिए प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्रों के संबंध में बताया गया था। आईसीएआई वेबसाइट पर पंजीकरण संख्या 322280 ई के साथ पंजीकृत फर्म का पता सेन्चुरी प्लाजा 81 नेताजी सुभाष रोड़, तीसरा तल, कमरा न.303, कोलकाता के नाम से दिया गया था जो कि मैसर्स जागृति कंपनी प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के संबंध में दिये गये पते अर्थात् मुखर्जी बिल्डिंग, 3 नं., सेन्ट्रल एवेन्यू तीसरा तल, कोलकता से भिन्न था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने मैसर्स जागृति कंपोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जमा किए गए प्रमाणपत्र में श्री पी.के अग्रवाल के साथ विभाग के अभिलेखो में प्रस्तुत श्री पवन के. अग्रवाल की मुहर और हस्ताक्षर का सत्यापन किया। और मुहर और हस्ताक्षर बेमेल पाये गये थे।

भिन्न फर्म नाम, भिन्न पते और हस्ताक्षर में बेमेल को ध्यान में रखते हुए दावे की सत्यता की पूरी तरह से पुष्टि नहीं की जा सकती।

पूर्ववर्ती को देखते हुए, मैसर्स जागृति कंपोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स एस.के टिम्बर एण्ड कंपनी के उपरोक्त तीन मामलों में जमा किये गये सीए प्रमाणपत्र कथित रूप से फर्म अग्रवाल एण्ड कंपनी के श्री पी.के अग्रवाल के नाम पर जारी किए गये थे जो कि वास्तविक प्रतीत नहीं हो रहे थे, इसलिए लेखापरीक्षा के लिए अस्वीकार्य है। अतः, ₹ 10.78 लाख के लिए एसएडी के प्रतिदाय की मूल्यराशि न केवल अनियमित थी और ₹ 2.25 लाख की मूल्यराशि उस पर ब्याज के साथ वसूल किए जाने की आवश्यकता है लेकिन जाली दस्तावेजों के आधार पर निर्यातक द्वारा किए गए दावों की भी उचित जांच आवश्यक हैं।

इस विषय में अक्टूबर 2015 को विभाग को और सीमा शुल्क कमिश्नर, कोलकाता बंदरगाह को जनवरी 2017 में सूचित किया गया, परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2017)।

लेखापरीक्षा ने पिछले वर्ष 2017 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.1 (पैराग्राफ 7.1 और 7.2 का सन्दर्भ) में ऐसे मामलों को प्रतिवेदित किया था, इसके उत्तर में मंत्रालय ने सूचित किया था कि संबंधित कमिश्नरियों ने मामले के विषय में सर्तकता शाखा को प्रतिवेदित किया था। यद्यपि, लेखापरीक्षा में इंगित किए गए मामलों के संबंध में कार्यवाही आरंभ की गई थी, इस प्रकार के मामलों का लगातार घटित होना बड़ी प्रणालीगत खामियों को संकेत है जिसे सीए प्रमाणपत्रों और अन्य दस्तावेजों की कड़ी संवीक्षा के माध्यम से ध्यान देने की आवश्यकता है जो कि कमिश्नर द्वारा प्रतिदायों को देने के लिए विश्वसनीय हैं।

3.2 अधिसूचना सं. 39/1996-सी.शु. के तहत गलत छूट के कारण प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) का गैर-उदग्रहण

3.2.1 भारत सरकार द्वारा अधिकृत एक व्यक्ति एवं भारत सरकार के ठेकेदारों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के केन्द्र/राज्य सरकार एवं इस प्रकार के उपक्रमों के सह ठेकेदार द्वारा बनाये गये निर्यातकर्ता दिनांक 23 जुलाई 1996 अधिसूचना सं. 39/1996 कस्टम (क्रमं नं.-9 और 10) की शर्तों में सीमा-शुल्क की अतिरिक्त शुल्कों के सम्पूर्ण रूप से छूट प्राप्त नहीं हैं जैसा जून 2015 से

प्रभावी दिनांक 30 अप्रैल 2015 अधिसूचना सं. 29/2015-कस्टम, (पैराग्राफ 2 क्रमांक सं.IX) दिनांक 8 मई 2012 अधिसूचना सं. 30/2012-कस्टम के साथ पठित। तदनुसार, ठेकेदारो/सह-ठेकेदारो द्वारा निर्यातो को अधिसूचना के क्रमांक सं. 9ए/10ए के तहत निर्धारण किया गया है और 12.5 प्रतिशत पर सीमाशुल्क के अतिरिक्त शुल्कों को लगाया गया था।

रक्षा और आंतरिक सुरक्षा सेना से संबंधित माल के अनेक प्रेषण भारत सरकार के ठेकेदारो, भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और सरकारी उपक्रमों के सह-ठेकेदारों के द्वारा चैन्नई (समुद्र एवं वायु) कमिश्नरियों के माध्यम से (जून 2015 से मार्च 2016) आयात किये गये थे। 12.5 प्रतिशत पर कस्टम के अतिरिक्त शुल्क को लगाये जाने के स्थान पर दिनांक 23 जुलाई 1996 को अधिसूचना सं. 39/1996-कस्टम की क्रमांक नं. 9 और 10 के तहत कस्टम के अतिरिक्त शुल्को से गलत तरीकों से छूट दी गई थी।

इसके परिणामस्वरूप 118 प्रेषणों में ₹ 7.24 करोड़ की मूल्यराशि के लिए सीवीडी की गैर-उगाही हुई।

इस ओर इंगित किये जाने पर (मई/जुलाई 2016), विभाग ने ₹ 21.19 लाख की मूल्यराशि की वसूली की सूचना दी थी (जून 2017) जिसमें पांच प्रेषणों में ₹ 3.26 लाख का ब्याज सम्मिलित था और 8 नियार्तको को मांग नोटिस जारी किया गया था। आगे की प्रगति प्रतिक्षित है (सितम्बर 2017)।

3.2.2 01 जून 2015 से 19 मार्च 2016 की अवधि के लिए सी पोर्ट कोचिन, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (एसीसी) नेदुंबसेरी और एसीसी, तिरूअन्तपुरम की प्रविष्टी रसीद की ऑनलाइन लेखापरीक्षा से पता चला कि भारत सरकार/राज्य सरकार के अलावा अन्य आयातको द्वारा 113 प्रेषणों को मंजूरी दी गई थी जो कि दिनांक 23 जुलाई 1996 की अधिसूचना सं. 39/1996 कस्टम के क्रमांक सं. 9 और 10 के तहत सीवीडी/एसएडी निर्धारण से छूट प्राप्त थे यद्यपि, दिनांक 30 अप्रैल 2015 की अधिसूचना सं. 29/2015-कस्टम के माध्यम से छूट को वापस ले लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.39 करोड़ के शुल्क की गैर-उगाही हुई थी।

यह बताने पर (मार्च/अप्रैल 2016), विभाग ने एसीसी, नेदुंबसेरी के माध्यम से आयातकों द्वारा क्लियर किये गये 29 प्रेषणों के संबंध में ब्याज सहित ₹ 56.91 लाख की वसूली के बारे में बताया (फरवरी 2017)। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क आयुक्तालय, त्रिवेन्द्रम ने एक प्रेषण में ₹ 0.46 लाख की वसूली के बारे में बताया और शेष 47 प्रेषणों में कारण बताओ नोटिस जारी किया। यद्यपि, सीमा शुल्क कार्यालय, कोच्चि ने सूचित किया (अगस्त 2016) कि आयातकों को मांग नोटिस जारी कर दिया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

3.3 अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमाशुल्क के अंतर्गत गैर-खाद्य ग्रेड वनस्पति वसा के आयात पर मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) की कम उगाही।

खाद्य ग्रेड रिफाइंड मूंगफली का तेल (सीटीएच 1508)/सूरजमुखी का तेल (सीटीएच 1512) अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमाशुल्क (क्रम संख्या 58) दिनांक 17 मार्च 2012 के अंतर्गत बीसीडी की रियायती दर हेतु मान्य है। तथापि, औद्योगिक प्रयोग हेतु इन रिफाइंड तेलों का आयात बीसीडी की रियायती दर हेतु मान्य नहीं है।

समान आयातों में अधिसूचना लाभ के गलत प्रयोग पर लेखापरीक्षा पैराग्राफ सीएजी की 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 12 (पैरा संख्या 5.10) में पहले ही शामिल किया जा चुका है, जहां मंत्रालय ने पैरा को स्वीकार किया था। तथापि, लेखापरीक्षा में ऐसे मामलों को नोटिस किया जाता रहा जो यह दर्शाता है कि बोर्ड ने वर्गीकरण बताने के लिये सुधारात्मक कदम नहीं उठाये जिसके कारण बीसीडी की कम उगाही हुई। मंत्रालय की टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं (सितम्बर 2017)।

इन मामलों की नीचे चर्चा की गई है:

3.3.1 मैसर्स सुरू कैमिकल्स और 13 अन्य ने जेएनसीएच, नहावा शेवा, मुंबई के माध्यम से 'रिफाइंड मूंगफली का तेल/जैतून का तेल/बादाम बेस तेल/सूरजमुखी तेल और अखरोट का तेल/वनस्पति तेल' के 27 प्रेषणों का आयात किया (अप्रैल 2015 से दिसंबर 2016)। आयातित माल सीटीएच 1508/1509/1515/1512 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और अधिसूचना संख्या 12/2012 क्रम संख्या 58 के लाभ देते हुये बीसीडी की रियायती दर

लगाई गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि आयातित माल औद्योगिक प्रयोग के लिये है और खाद्य उद्देश्य हेतु नहीं इस प्रकार, उपरोक्त अधिसूचना लाभ के लिये मान्य नहीं है। गलत वर्गीकरण और अनुचित छूट के कारण ₹ 3.77 करोड़ के शुल्क की कम उगाही हुई।

यह बताने पर (मार्च/अप्रैल 2017), सहायक आयुक्त, ग्रेड II, जेएनसीएच, नहावा शेवा ने कहा (अप्रैल 2017) कि कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। शेष 13 आयातकों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

3.3.2 मैसर्स स्कोप इंग्रीडिअन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने समुद्री सीमाशुल्क, चेन्नै के माध्यम से 'रिफाइंड शीया बटर' के चार प्रेषणों का आयात किया (अगस्त 2014/अक्टूबर 2015)। इस माल का शुल्क, की रियायती दर, जो तेल के खाद्य ग्रेड में लागू होती है पर मूल्यांकन किया गया था लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आयतित माल, माल के मद विवरण में उल्लिखित अनुसार और आपूर्तिकर्ता की वेबसाइट (www.olvea.com) से पुष्टि के अनुसार कॉस्मेटिक उपयोग के लिये था तदनुसार, आयतित माल खाद्य उपयोग हेतु उपयुक्त नहीं था; इस प्रकार दी गई छूट अनुचित थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 54.70 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई।

यह बताने पर (फरवरी 2016), विभाग ने कहा (मई 2017) कि आयातक को की गई कम उगाही का भुगतान करने के निदेश दिये गये है; ऐसा करने में विफल होने पर सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत उचित कार्रवाई की जायेगी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

3.4 वायु संचालित विद्युत जनरेटर के लिये कास्टिंग के आयात पर सीवीडी की गैर उगाही

अधिसूचना संख्या1/2016-सीमाशुल्क (सीवीडी) दिनांक 19 जनवरी 2016 के संदर्भ में, मशीनीकृत या गैर-मशीनीकृत वायु संचालित विद्युत जनरेटरों, (डब्ल्यूओईजी) कच्चा, तैयार या आधा तैयार या उप-संयोजित के भाग के कास्टिंग रूप में या डब्ल्यूओईजी के लिये उपकरण/घटक का भाग, जो चीनी गणराज्य से उत्पादित होता है और सीटीएच 84834000; 85030090 के अंतर्गत आता है और किसी आयातक द्वारा आयात किया जाता है, उस पर आयातित माल के मूल्य का 13.44 प्रतिशत पर सीवीडी वसूली योग्य है।

मैसर्स गमेसा रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड और तीन अन्य ने चेन्नै (सी)/जेएनसीएच, मुंबई सीमाशुल्क के माध्यम से चीनी गणराज्य से डब्ल्यूओईजी के विभिन्न मशीनीकृत कास्टिंग भाग जैसे मुख्य एक्सेल, हॉलो शाफ्ट, मशीनीकृत हब आदि का आयात किया (जनवरी से मार्च 2016)। माल को सीटीएच 85030090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था लेकिन उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत आयातित माल के मूल्य पर सीवीडी वसूल किये बिना क्लियर किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.53 करोड़ के शुल्क की गैर उगाही हुई।

यह बताने पर (मार्च 2016/जनवरी 2017) विभाग ने (नवंबर 2016) मैसर्स सुजलॉन एनर्जी से ₹ 0.40 करोड़ की वसूली के बारे में बताया और दो आयातकों (मैसर्स लेट विंड लिमिटेड श्रीराम मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड, और मैसर्स रीजेन पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड) को कारण बताओ नोटिस (मार्च 2017) जारी किया। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

3.5 मोनो अमोनियम फोस्फेट आयात पर सीवीडी की अनुचित छूट

"मोनो अमोनियम फोस्टफेट, पानी में घुलनशील उर्वरक" सीटीएच 31054000 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है और अधिसूचना संख्या 12/2012-सीई क्रम संख्या 128 दिनांक 17 मार्च 2012 के अंतर्गत एक प्रतिशत की दर पर सीवीडी लगाये जाने योग्य है।

मैसर्स वेदांत फर्टीलाइज़र्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और 16 अन्य ने जेएनसीएच, नहावा, शेवा, मुंबई के माध्यम से चीन से 'मोनो अमोनियम फोस्टफेट' के 37 प्रेषण आयात किये (जनवरी 2015 से दिसंबर 2016)। माल को सीटीएच 31054000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था लेकिन आयातित मोनो अमोनियम फोस्फेट को अन्य उर्वरकों के निर्माण में प्रयोग किये जाने वाले इनपुट के रूप में मानकर उपरोक्त अधिसूचना क्रम संख्या 127 के अंतर्गत सीवीडी लगाये बिना क्लियर किया गया था। मोनो अमोनियम फोस्फेट पानी में घुलनशील उर्वरक है और उर्वरकों के निर्माण के लिये इनपुट नहीं है जैसा सीमाशुल्क अधिनियम 12/2012-सीमाशुल्क क्रम संख्या 202 दिनांक 17 मार्च 2012 से स्पष्ट है, तदनुसार सीई अधिसूचना की क्रम संख्या 128 के अंतर्गत

एक प्रतिशत सीवीडी वसूली योग्य है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 17.01 लाख की सीमा तक शुल्क की कम उगाही हुई।

यह बताने पर (मार्च 2017), विभाग ने कहा (मार्च/मई 2017) कि संबधित आयातकों को उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी कर दिये गये हैं, जबकि एक आयातक (मैसर्स स्नेह कार्पोरेशन) ने ₹ 0.09 लाख का भुगतान कर दिया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

अध्याय- IV

उपयुक्त कर और अन्य प्रभारों की कम/गैर-वसूली

इस अध्याय में उन मामलों को प्रस्तुत किया गया है जहां सरकारी राजस्व अवरोधित हुआ या गलत निर्धारण के कारण कम/गैर-वसूली हुई, आयातित माल का कम निर्धारण हुआ और लागू प्रभारों की वसूली नहीं हुई। मामलों को अभिलेखों की नमूना जांच में देखा गया (अगस्त 2015 से मार्च 2017) मामलों में ₹ 15.03 करोड़ का कुल राजस्व निहित है। इनमें से 9 मामलों की निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है और 13 मामले जो विभाग द्वारा स्वीकार किये गये हैं और जिनमें या तो वसूली की गई या शुरू की गई है **अनुबंध 6** में दर्शाये गये हैं।

4.1 कोयले के आयात पर बीसीडी की कम उगाही

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 27 के उप शीर्षक नोट्स (2) के अनुसार, बिटुमिनस कोयले का अर्थ है कोयला जिसकी अस्थाई पदार्थ सीमा (सूखे, खनिज, प्रदार्थ मुक्त आधार पर) 14 प्रतिशत से अधिक हो और कैलोरी मान की सीमा (नमी, खनिज, पदार्थ मुक्त आधार पर) 5833 किलो कैलोरी/कि.ग्रा के बराबर या उससे अधिक हो। बिटुमिनस कोयला सीटीएच 27011200 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमाशुल्क (क्रम संख्या 124) दिनांक 17 मार्च 2012 के अंतर्गत पांच प्रतिशत की दर पर बीसीडी लगाने योग्य है। तथापि, सीटीएच 27011920 के अंतर्गत आने वाला स्टीम कोयला पाँच प्रतिशत बीसीडी से मुक्त है लेकिन उपरोक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 123 के अनुसार उस पर एक प्रतिशत सीवीडी वसूली योग्य है। सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम में स्टीम कोयले की कोई परिभाषा निर्धारित नहीं की गई है।

4.1.1 धामरा सीमाशुल्क डिविजन, धामरा की निर्धारण फाइलों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि विभिन्न आयातकों द्वारा आयातित कोयले के आठ प्रेषणों का अनंतिम निर्धारण उन्हे स्टीम कोयले (नॉन कोकिंग) के रूप में मानकर शून्य बीसीडी तथा एक प्रतिशत की दर पर सीवीडी लगाकर किया गया था यद्यपि बीई में विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आयातित कोयले में बिटुमिनस कोयले की विशेषताऐं थीं। इसके अतिरिक्त, सीमाशुल्क प्रयोगशाला से

मार्च 2013 में प्राप्त जांच रिपोर्टों ने भी आयातित कोयले में बिटुमिनस कोयले की विशेषताओं की पुष्टि की। तदनुसार, सीमाशुल्क मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार, अंतिम निर्धारण कथित बीई के वास्तविक दस्तावेजों के साथ-साथ जांच रिपोर्ट, जो जनवरी और अप्रैल 2013 के बीच प्राप्त हुई थी की प्राप्ति के छह महीनों की निर्धारित अवधि के अंदर पांच प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त शुल्क मांग के लिये किया जाना चाहिये था। अनंतिम निर्धारण में पांच प्रतिशत की लागू दर लगाने की बजाय बीसीडी में छूट देने के कारण ₹ 1.59 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई। सभी जांच रिपोर्टों की प्राप्ति के बाद निर्धारित अवधि के अंदर अनंतिम निर्धारणों का अंतिम निर्धारण न होने के कारण निर्धारितियों को अनुचित लाभ मिला।

यह बताने पर (मार्च 2016), विभाग ने टिप्पणी स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2017) कि आठ निर्धारितियों को ब्याज सहित ₹ 1.60 करोड़ के शुल्क के अंतर का भुगतान करने के लिये मांग पत्र जारी किये गये हैं। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

4.2 लागू एन्टी डंपिंग शुल्क के उदग्रहण के बिना आयात

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9ए के अनुसार, जहां भारत को किसी देश से किसी वस्तु का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम पर किया जाए तो केन्द्रीय सरकार एक अधिसूचना द्वारा भारत के अन्दर ऐसी वस्तु के आयात पर एन्टी डंपिंग शुल्क (एडीडी) लगा सकती है। तदनुसार, समय-समय पर 'विटामिन सी', 2 एमएम से 12 एमएम तक मोटे साफ एवं रंगीन विभिन्न (हरे शीशे के अलावा) के साथ –साथ फ्लोट ग्लास और 'मोर्फोलीन' जैसे माल पर एडीडी लगाया गया था जब इन्हें चीन एवम जर्मनी जैसे विशेष देशों से आयात किया गया था।

4.2.1 निर्धारण अधिकारियों ने 'विटामिन सी' 'सोडियम एस्कोर्बेट' 'फ्लोट ग्लास' और'मोर्फोलीन' के 66 प्रेषणों को विनिर्दिष्ट देशों से आयतित जेएनसीएच, न्हावा शेवा, से मैसर्स फीजर एवं अन्य 12 द्वारा मुम्बई एवं चेन्नई (समुद्री) सीमाशुल्क अधिकारियों ने ₹ 3.02 करोड़ की राशि के एडीडी की प्रयोज्य उगाही के बिना स्वीकृत किया।

जेएनसीएच मुम्बई प्राधिकरणों ने फ्लोट ग्लास और मोर्फोलीन के आयात के संबंध में दो आयातकों (मेसर्स सैफायर ग्लास सोल्यूशन्स और मेसर्स हिन्दुस्तान स्पेशियल्टी केमिकल्स) से ₹ 22.47 लाख की वसूली बताई (जुलाई 2016/मई 2017) थी और मेसर्स भवरलाल झांवर एडं सन्स को एक कारण बताओं नोटिस (एससीएन) जारी (मार्च 2017) किया था।

सोडियम एस्कोर्बेट के आयात के संबंध में सीमाशुल्क उपयुक्त (चैन्नै समुद्र) ने कहा (जून 2017) कि अधिसूचना के अनुसार मर्क[14] इन्डेक्स की प्रविष्टी संख्या 867 के तहत विटामिन सी और इसके समानार्थियों पर एडीडी करायोग्य है जबकि आयातित सोडियम एस्कोर्बेट की मर्क इन्डेक्स के क्रम सं. 8525 पर विशेष प्रविष्टि है इसलिए एडीडी पर करारोपित नहीं है।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अधिसूचना सं. 38/2015-एडीडी के अनुसार, एडीडी मर्क इन्डेक्स की प्रविष्टि संख्या 867 के तहत निर्धारित विटामिन सी के सामान्य तौर पर प्रयुक्त समानार्थी सहित विटामिन सी के सभी समानार्थियों पर प्रयोज्य है। इसका अर्थ यह है कि एडीडी विटामिन सी के सभी प्रकारों पर करारोप्य है एवं मर्क इनडेक्स की प्रविष्टि सं. 867 के तहत उल्लेखित तक ही प्रतिबंधित नहीं है।

इसके अलावा सोडियम एस्कॉरबेट एस्कार्बिक एसिड 'विटामीन सी' के खनिज लवणों में से एक है और राजस्व विभाग ने 2015 के एआर सं. 8 के एक समान मामले में (उप पैरा 4.9) लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (दिसम्बर 2014) और आयातक (मेसर्स बजाज हेल्थकेयर लिमिटेड) को कम प्रभार एवं कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया।

शेष नौ आयातकों द्वारा आयातों के संबंध में उत्तर अपेक्षित है (सितम्बर 2017)।

4.3 कम मूल्यांकन के कारण शुल्क की कम उगाही

सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 की उप धारा 1 के खण्ड (iii) के साथ पठित सीमाशुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) नियम 2007 के नियम 12 के अनुसार जब अधिकारी के पास किसी आयातित माल

[14] मर्क इन्डेक्स केमिकल पदार्थो का अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर विख्यात एन्साइक्लोपीडिया है।

के संबंध में घोषित मूल्य की सच्चाई या सटीकता पर शंका का उचित कारण हो, वह ऐसे माल के आयातक से दस्तावेज एवं अन्य प्रमाण सहित अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है और यदि ऐसी सूचना प्राप्त करने के बाद या ऐसे आयातकों के उत्तर की अनुपस्थिति में उचित अधिकारी को घोषित मूल्य की सच्चाई एवं सटीकता पर शंका हो, यह माना जाऐगा कि ऐसे आयातित माल के संव्यवहार मूल्य को निर्धारित नहीं किया जा सकता और घोषित मूल्य को अस्वीकार किया जा सकता है।

4.3.1 पॉलीएस्टर चिप्स और 'सटेनलैस स्टील मेल्टिंग स्क्रैप आयातों का कम मूल्यांकन

मेसर्स गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड और मेसर्स विराज प्रोफाइल्स ने 'पॉलीएस्टर चिप्स सूपर ब्राइट' और ''स्टेन्लैस स्टील मेल्टिंग स्क्रैप ग्रेड 211'' क्रमश: (मई से अगस्त 2016 तक) जेएनसीएच, न्हावा शेवा मुम्बई से आयात किया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मई/अगस्त 2016 में 'पॉलीएस्टर चिप्स सूपर ब्राइट' और ''स्टेन्लैस स्टील मेल्टिंग स्क्रैप ग्रेड 211'' के समकालीन आयातों को यूएसडी 1050 और 631 पीएमटी क्रमश: के पुन: निर्धारित मूल्य पर सीमाशुल्क मूल्यांकन नियम 2007 के नियम 5 अनुसार जेएनसीएच में निर्धारित किए गए थे।

उपरोक्त उल्लेखित दो आयातकों द्वारा मई से अगस्त 2016 में आयातित माल के उसी पुन: निर्धारित निर्धारण मूल्य को अंगीकृत नहीं करने के परिणामस्वरूप माल का कम मूल्यांकन हुआ और ₹ 77.04 लाख की शुल्क राशि की परिणामी कम उगाही हुई।

इसे इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2016/जनवरी 2017) विभाग ने आयातकों को कारण बताओं नोटिस जारी (जनवरी/मार्च 2017) किया। आगे की प्रगति अपेक्षित है (सितम्बर 2017)।

4.3.2 संबंधित पार्टी द्वारा आयातित माल का कम मूल्यांकन

डीएफएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आयातक) के मामले में दिनांक 25 मई 2015 आदेश सं. 313/एसी/एसवीडी/वीएमडी 2015-16 में विशेष मूल्यांकन

शाखा, मुम्बई (एसवीबी) ने कहा कि उनके द्वारा मेसर्स डीएफएस वेन्चर सिंगापुर (पीटीई) लिमिटेड (आपूर्तिकार) द्वारा आयातित माल सीमाशुल्क मूल्यांकन नियम (सीवीआर) 2007 के नियम 2 (2) के तहत संबंधित पार्टी संव्यवहार को परिभाषा के तहत था और इसलिए 1 अगस्त 2014 के बाद आयातित माल का बीजक मूल्य सीवीआर 2007 के नियम 3(3) के साथ पठित धारा 14(1) के तहत स्वीकृत था। एसवीबी ने यह भी आदेश दिए कि 1 अगस्त 2014 से पूर्व एवं अंतिम निर्धारण के लिए विलम्बित सभी आयातों में समय-समय पर आपूर्तिकार को आयातक द्वारा लौटाए गए मालभाड़ा तत्व के अतिरिक्त् मूल्य को छह प्रतिशत तक बढ़ाया जायेगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि एसवीबी द्वारा निर्देशित छः प्रतिशत लोडिंग 1 अगस्त 2014 से पूर्व आयातों पर नहीं की गई थी लेखापरीक्षा ने उपलब्ध विवरण पर ₹ 7.47 लाख के शुल्क की कम उगाही इंगित की (अक्टूबर/नवम्बर 2015)) और विभाग को सभी प्रयोज्य आयातों पर कुल शुल्क लगाने का अनुरोध किया।

आयात ने विभाग (नवम्बर 2015) द्वारा निर्देश दिए जाने पर जनवरी 2016 में ₹ 17.21 लाख के शुल्क का भुगतान किया।

4.4 एसईजेड में तैनात अधिकारियों के लिए लागत वसूली प्रकारो की गैर उगाही

भारत सरकार, वाणिज्यिक विभाग, (एसईजेड डिवीजन) परिपत्र एफ.सं.ए-1/13/2008-एसईजेड दिनांक 16 सितम्बर 2010 सेज के अनुसार वेतन एवं भत्ता जैसे कि एसईजेड में तैनात अधिकारियों का अवकाश वेतन अंशदान और पेंशन अंशदान (नई पेंशन योजना के तहत शामिल कर्मचारियों के मामले में) सभी व्यय का भुगतान प्रयोज्य वेतन बैंड एवं ग्रेड पे में वास्तविक आंकडों के अनुसार डेवलपर्स द्वारा किया जायेगा। परिपत्र के अनुसार संबंधित क्षेत्र के विकास आयुक्त निर्धारित पद्धति के अनुसार वेतन एवं भत्तों के व्यय के कारण लागत वूसली प्रभारों लागु करने के लिए उत्तरदायी है।

4.4.1 विकास आयुक्त वीएसईजेड, दुवाड़ा, विशाखापट्टनम के कार्यालय की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि अप्रैल 2015 से मार्च 2016 एवं पिछले वर्षों

की अवधि के लिए ₹ 4.70 करोड़ की लागत वूसली प्रभारों की राशि की उगाही 53 इकाईयों से विलम्बित है।

इसे इंगित किए जाने पर (मार्च/जून 2016) डीजीएफटी नई दिल्ली ने विशाखापट्नम एसईजेड प्राधिकरणों (जुलाई 2016/जनवरी/सितम्बर 2017) द्वारा ₹ 4.18 करोड़ वसूली बताई (सितम्बर 2017) तथा कहा कि इकाई से शेष बकायों की उगाही के लिए प्रयास किए जा रहे है।

सामयिक ढंग से लागत प्रभारों की गैर वसूली के परिणामस्वरूप डेवेलपर को अनावश्यक वित्तीय समायोजन हुआ।

अध्याय V

माल का गलत वर्गीकरण

यह अध्याय उन मामलों का वर्णन करता है जहां निर्धारण अधिकारी उन विभिन्न माल के आयात को अनुमत करता है जहां उनका गलत वर्गीकरण हुआ था। रिकार्ड के परीक्षण जांच (मार्च 2014 से मार्च 2016 तक) के दौरान लेखापरीक्षा ने आयातित माल के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 6.12 करोड़ के सीमाशुल्क की कम उगाही /गैर उगाही के 21 मामले देखे गए। इनमें से सात मामलों पर निम्न पैराग्राफ में चर्चा की गई है और 14 मामले जो कि विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए है और वूसली की गई है वसूली प्रक्रिया प्रारंभ की गई है **अनुबंध 7** में उल्लेखित हैं।

5.1 मध्यम चेन ट्राइग्लीसराइड (एमसीटी) पामेस्टर 3595 आयात के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वूसली

पामेस्टर 3595/पामेस्टर 3585 को एमसीटी आयल भी कहा जाता है, कैप्राइलिक/कैप्रिक ट्राईग्लीसराइड सहित मध्यम चेन ट्राइग्लीसराइड से बना है जो कि पाम ऑयल और पाम कर्नल ऑयल से निर्मित रिएस्टरीफाइड फैटी एसिड ट्राइग्लीसराइड होते हैं। नामपद्धति की सुसंगत प्रणाली (एचएसएन) व्याख्यात्मक नोट के अनुसार, वानस्पतिक वसा एवं तेल एवं उनके भाग पूर्ण या आंशिक रूप से पुन: एस्टरीफाइड यदि रिफाइन्ड या नहीं किन्तु आगे बनाए नहीं गए को सीटीएच 151620 के तहत वर्गीकृत करने योग्य है और 80 प्रतिशत (अधिसूचना सं. 12/2012-सी.शु. दिनांक 12 मार्च 2012 क्रम सं. 68) की दर पर बीसीडी पर करारोप्य हैं।

मैसर्स के पी मनीष ग्लोबल इन्ग्रेडियन्स प्राइवेट लिमिटेड ने चैन्नै (समुद्र) सीमाशुल्क द्वारा "पामेस्टर 3595 एक्राइलिंक कैप्रिक ट्राइग्लीसराइड" के छ: संप्रेषणों का आयात किया (नवम्बर 2015 से मार्च 2016 तक)। माल को प्राकृतिक उत्पादों के उन मिश्रण सहित अन्य रसायनिक उत्पादों एवं रसायन अथवा सम्बन्धित उद्योगों की प्रिपेरेशन के तौरपर सीटीएच 38249090 के तहत गलत ढंग से वर्गीकृत किया गया था और अधिसूचना क्रम सं. 46/2011 सी.शु. दिनांक 1 जून 2011 के तहत बीसीडी से छूट दी गई थी।

लेखापीक्षा ने देखा कि उत्पादों को पूर्व कथित एचएसएन व्याख्यात्मक टिप्पण एवं रूलिंग संख्या एन 252004 यूएस सीमाशुल्क रूलिंग ऑनलाइन खोज प्रणाली (सीआरओएसएस) द्वारा समर्थित निर्णय के अनुसार सीटीएच 15162099 के तहत सही ढंग से वर्गीकरण के योग्य है एवं तदनुसार 80 प्रतिशत पर बीसीडी पर करारोप्य हैं। इस प्रकार गलत वर्गीकरण एवं अधिसूचना लाभ के गलत विस्तारण के परिणास्वरूप ₹ 1.94 करोड़ के शुल्क की कम उगाही हुई थी।

यह अप्रैल 2016 में विभाग को इंगित किया गया था, उनका उत्तर अपेक्षित है (सितम्बर 2017)।

5.2 मिर्च के बीजों के आयात के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम उगाही

जिनस कैप्सीकम के मिर्च के बीज सीटीएच 09042212 के तहत वर्गीकृत योग्य हैं और 70 प्रतिशत की दर पर बीसीडी लगाया जाता है।

मैसर्स रॉयल सीड्स कारपोरेशन और छः अन्य ने एनसीएच, नई दिल्ली के माध्यम से जीनस कैप्सिकम के मिर्च बीजो की 21 खेपों का आयात किया (जुलाई से नवम्बर 2016)। इन वस्तुओं को सीटीएच 12099190 के अन्तर्गत –अन्य वनस्पति बीज के रूप में वर्गीकृत किया गया था तथा पॉच प्रतिशत की दर से बीसीडी का निर्धारण किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जीनस कैप्सिकम के बीज मिर्च बीज हैं और इनका वर्गीकरण सीटीएच 09042212 के अन्तर्गत जीनस कैप्सिकम के मिर्च बीज के रूप में किया जाना चाहिए और वसूले गए पॉच प्रतिशत की दर की बजाए 70 प्रतिशत की दर से बीसीडी वसूली की जानी चाहिए थी। गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 90.76 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

यह मामला उठाए जाने पर (दिसम्बर 2016/मार्च 2017) विभाग ने बताया (मार्च 2017) कि आयातकों को मांग के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

5.3 'मोबाइल कंक्रीट मिक्सर' आयातों के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वसूली

सीटीएच 8705 में ऐसे मोटर वाहन शामिल होते है जिसमें ऐसे कई डिवाइसेज लगे होते हैं जो इन्हें कुछ गैर–परिवहनीय कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम बनाते हैं। सीटीएच 8474 के अन्तर्गत दी गई नामपद्धति की संतुलित प्रणाली (एचएसएन) नोट्स के अनुसार जब कंक्रीट मिक्सर स्थायी रूप से किसी रेल वैगन के ऊपर लगाया जाता है अथवा लॉरी चेसिस पर लगाया जाता है तो इसे सीटीएच 8474 से छूटप्राप्त है और तब इसे क्रमश: सीटीएच 8604 अथवा 8705 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, सीटीएच 8705 के एचएसएन नोट्स के क्रम सं. 10 में स्पष्ट उल्लेख है कि एक कैब और मोटर वाहन चेसिस वाले कंक्रीट मिक्सर लॉरी जिस पर स्थायी रूप से कंक्रीट मिक्सर लगा हो और जो इसे कंक्रीट बनाने और इसके परिवहन हेतु सक्षम बनाता है सीटीएच 8705 के अन्तर्गत आता है। तदनुसार, मिक्सर लॉरी को सीटीएच 87054000 के अन्तर्गत तथा सीटीएच 8701 से 8705 के मोटर वाहनों के कल पुर्जे एवं उपकरणों को सीटीएच 8708 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है और इस पर 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी लगाया जाना चाहिए।

मैसर्स अजक्स फियोरी इंजीनियरिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने चेन्नई (पत्तन) सीमा शुल्क के माध्यम से 'स्टीयरिंग एक्सल, गियर बॉक्स वाले स्टीयरिंग एक्सेल, गियर बॉक्स वाले दाना एक्सेल, निगेटिव के लिए वाल्व, हैंड ब्रेक आदि जैसे मोबाइल कंक्रीट मिक्सर के पुर्जों का आयात किया (सितम्बर 2014 और जनवरी 2015 के बीच)। वस्तुओं को क्लचेज और सॉफ्ट कप्लिंग्स' के रूप में सीटीएच 84836090/84818090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और 10 प्रतिशत के लागू दर की बजाए 7.5 प्रतिशत दर के बीसीडी का निर्धारण किया था। गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 51.48 लाख के शुल्क का कम संग्रहण हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर (मार्च 2015/अक्टूबर 2016) विभाग ने बताया (फरवरी 2017) कि आयातक ने ₹ 51.48 लाख की कम उगाही की पुष्टि के आदेश के विरूद्ध सेसटैट, चेन्नई में अपील दाखिल किया है। तदनुसार, वसूली कार्यवाही इस अपील के परिणाम आने के बाद ही शुरू की जा सकती थी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

5.4 समुद्री खरपतवार एक्सट्रैक्ट आयातों के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वसूली

नामपद्धति की सुमेलित प्रणाली (एचएसएन) के अनुसार, अध्याय शीर्ष 3808 'वनस्पति वृद्धि रेगुलेटर' के अन्तर्गत व्याख्यात्मक नोटस वनस्पति के जीवन चक्र में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किए जाते है ताकि वृद्धि अधिक या कम हो, उपज में वृद्धि हो, गुणवत्ता में सुधार हो या फसल काटना सरल हो आदि और सीटीएच 38089340 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं। अतः पौधा वृद्धि विनियामक के रूप में प्रयुक्त समुद्री खरपतवार (सीवीड) एक्सट्रैक्ट लिक्विड' और 'सिंथेटिक आर्गेनिक केमिकल्स' सीटीएच 38089340 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है और इस पर 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी और 12.5 प्रतिशत की दर से सीवीडी लगाया जाना चाहिए।

मैसर्स मैंग्लुरू केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुम्बई के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका से 'केलपक सीवीड एक्सट्रैक्ट' की तीन खेपों का आयात किया (अक्टूबर से दिसम्बर 2016)। विभाग ने आयातित वस्तुओं का 'पशु एवं वनस्पति उर्वरकों/अन्य उर्वरकों/जैविक रसायनों के रूप में सीटीएच 31010099 के अन्तर्गत गलत वर्गीकरण कर दिया तथा 10 प्रतिशत की बीसीडी और 12.5 प्रतिशत की सीवीडी की बजाए सीवीडी से छूट दी और 7.5 प्रतिशत की दर से बीसीडी वसूला। 'केलपक सीवीड एक्ट्रैक्ट' एक प्राकृतिक सीवीड है जो जड़ विकास को तेज करने तथा पौधों के स्वास्थ्य में सुधार करता है और सभी प्रकार के पौधों के लिए पौधा वृद्धिकर्ता के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इन्हें सीटीएच 38089340 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए तथा इस पर 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी लगाया जाना चाहिए। गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 43.81 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2017) विभाग ने कहा (मई 2017) कि आयातक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

5.5 रबर बैंड/हेयर रबर बैंड आयातों के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वसूली

रबर बैंड को कठोर रबर की बजाय गंधक रबर की अन्य वस्तुओं के रूप में सीटीएच 40169920 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है और इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से सीबीडी लगाया जाता है।

मैसर्स मेरा बाबा इंटरनेशनल और 65 अन्य ने आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली के माध्यम से 'रबर बैंड/हेयर रबर बैंड' की 302 खेपों का आयात किया (जनवरी 2016 से जनवरी 2017)। आयातित वस्तुओं को अन्य कॉम्ब हेयर स्लाइड्स और हेयर पिन, कर्लिंग पिन, कर्लिंग ग्रिप्स, हेयर कर्लर्स के रूप में सीटीएच 96159000 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था और 'शून्य' दर पर वसूली के पश्चात मंजूरी दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आयातित वस्तुओं को रबर बैंड्स घोषित किया गया था और इसलिए रबर बैंड के रूप में यह सीटीएच 40169920 के अन्तर्गत वर्गीकरणयोग्य है तथा इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से सीवीडी लगाया जाना चाहिए। गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 32.75 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी/फरवरी/मार्च 2017) विभाग ने बताया (अप्रैल 2017) कि दो आयातकों (मैसर्स अटलांटिक सेल्स और मैसर्स यूनाइटेड सेल्स) ने तीन खेपों के संबंध में ब्याज सहित ₹ 0.18 लाख जमा करा दिया था। शेष खेपों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

5.6 चाय फिल्टर पेपर के आयात के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वसूली

फिल्टर पेपर और पेपर बोर्ड को सीटीएच 48232000 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है और इस पर 12.5 प्रतिशत की सीवीडी दर से शुल्क लगाया जाता है।

मैसर्स हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड ने आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली के माध्यम से' 94 मिमी चौड़े डायनापोर चाय फिल्टर पेपर' की छः खेपों का आयात किया (मई से नवम्बर 2016)। आयातित वस्तुओं को फिल्टर पेपर और पेपर

बोर्ड के रूप में सीटीएच 48054000 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया और छः प्रतिशत दर के सीवीडी का निर्धारण किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अध्याय 48 के नोट 8 के अनुसार सीटीएच 4805 में 3 सेमी से अधिक चौड़ी पेपर और रोल्स निहित हैं। चूंकि आयातित फिल्टर पेपर की चौड़ाई 94 मिमी है, इसलिए इसे सीटीएच 4823000 के अन्तर्गत फिल्टर पेपर और पेपर बोर्ड के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और इस पर वसूले गए छः प्रतिशत की बजाए 12.5 प्रतिशत की दर से सीवीडी लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 19.26 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2016/मार्च 2017), विभाग ने कहा (फरवरी 2017) कि आयातक को मांग नोटिस जारी किया गा है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

5.7 'क्रोमो पेपर 80 जीएसएम' के आयात के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वसूली

'क्रोमो पेपर 80 जीएसएम' को क्रोमो और आर्ट पेपर कोटेड के रूप में सीटीएच 48119012 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है और इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से सीवीडी लगाया जाता है।

सीमाशुल्क आयुक्त जेएनसीएच, महाराष्ट्र ने समान आयात में अक्टूबर 2015 के अपने मूल आदेश में निर्णय दिया कि ''क्रोमो पेपर 80 जएसएम'' का सीटीएच 48119012 के अन्तर्गत वर्गीकरण किया जाएगा तथा इस पर अन्य शुल्कों के अलावा 12.5 प्रतिशत की दर से सीवीडी लगाया जाएगा।

मैसर्स मुद्रिका लेबल्स प्राइवेट लि. और चार अन्य ने जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुम्बई के माध्यम से क्रोमों पेपर जीएसएम 80' की 36 खेपों का आयात किया (फरवरी 2013 से फरवरी 2016)। आयातित वस्तुओं का 'क्रोम पेपर अथवा पेपर बोर्ड'/अन्य पेपेर/ ब्लीच्ड पेपर के रूप में सीटीएच 48101330/48101390/48103200/48101990 के अन्तर्गत गलत वर्गीकरण किया गया तथा 12.5 प्रतिशत के लागू दर की बजाए छः प्रतिशत दर पर सीवीडी लगाकर मंजूरी दी गई।

गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 14.40 लाख की शुल्क राशि का कम उद्ग्रहण हुआ जिसकी वसूली की जानी चाहिए।

विभाग को मार्च/अप्रैल 2017 में मामले से अवगत करा दिया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

नई दिल्ली
दिनांक: 21 नवम्बर 2017

(शेफाली एस अंदलीब)
प्रधान निदेशक (सीमाशुल्क)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 22 नवम्बर 2017

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुबंध

अनुबंध 1 (संदर्भ पैराग्राफ 1.4)

सगंठनात्मक चार्ट

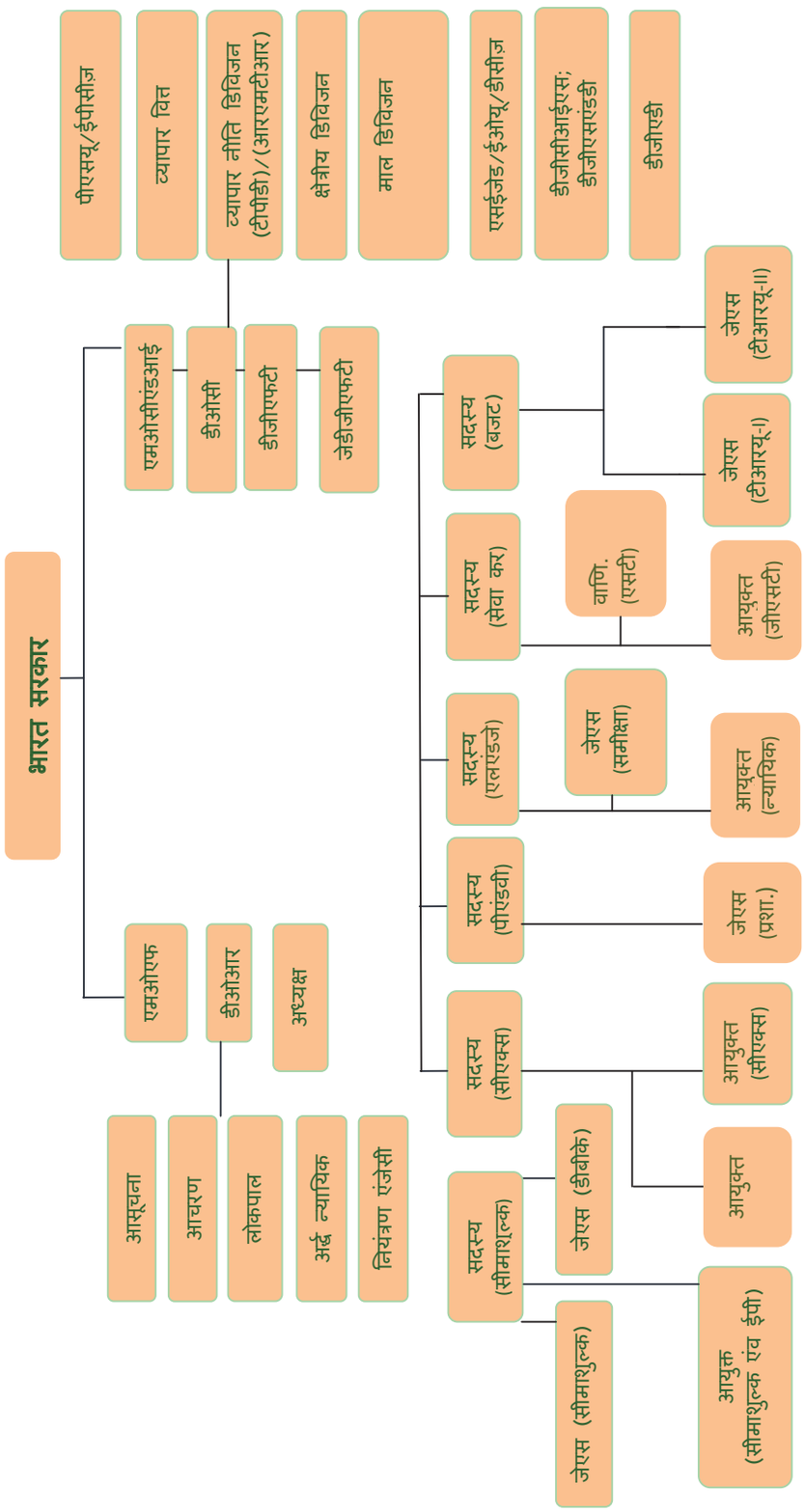

अनुबंध 2

विशेष आर्थिक जोन पर फेक्ट शीट (7 सितम्बर 2017 तक)

(संदर्भ पैराग्राफ 1.7)

औपचारिक स्वीक्रतियों की सं.	**424**		
अधिसूचित सेज	11 राज्य/निजी सेज सहित 357 जमा 7 केन्द्र सरकार सेज		
परिचालनात्मक सेज	222		
सेज में स्वीक्रत यूनिट	4,643		
निवेश	**निवेश (फरवरी 2006 तक)**	**वृद्धिशील निवेश**	**कुल निवेश (30 जून 2017 तक)**
केन्द्र सरकार सेज	₹ 2,279 करोड़	₹ 13,695 करोड़	₹ 15,974 करोड़
2006 से पूर्व स्थापित राज्य/ निजी सेज	₹ 1,756 करोड़	₹ 9,722 करोड़	₹ 11,478 करोड़
अधिनियम के तहत अधिसूचित सेज	-	₹ 4,05,690 करोड़	₹ 4,05,690 करोड़
कुल	**₹ 4,035 करोड़**	**₹ 4,29,107 करोड़**	**₹ 4,33,142 करोड़**
रोजगार	**रोजगार (फरवरी 2006 तक)**	**वृद्धिशील रोजगार**	**कुल रोजगार (30 जून 2017 तक)**
केन्द्र सरकार सेज	1,22,236 व्यक्ति	1,12,625 व्यक्ति	2,34,861 व्यक्ति
2006 से पूर्व स्थापित राज्य/ निजी सेज	12,468 व्यक्ति	83,502 व्यक्ति	95,970 व्यक्ति
अधिनियम के तहत अधिसूचित सेज	-	14,48,020 व्यक्ति	14,48,020 व्यक्ति
कुल	**1,34,704 व्यक्ति**	**16,44,147 व्यक्ति**	**17,78,851 व्यक्ति**
2015-16 में निर्यात		₹ 4,67,337 करोड़	
2016-17 में निर्यात		₹ 5,23,637 करोड़	

स्रोत: www.sezindia.nic.in

अनुबंध 3

डीआरआई द्वारा पकड़े गए शुल्क अपवंचन के मामले (योजनावार)

(संदर्भ पैरा 1.13.5)

क्र.सं.	योजना	वि.व.13	वि.व.14	वि.व.15	वि.व.16	वि.व.17
		मामलों की सं. शुल्क (₹ करोड़)	मामलों की सं. शुल्क (₹ करोड़)	मामलों की सं. शुल्क (₹ करोड़)	मामलों की सं. शुल्क (₹ करोड़)	मामलों की सं. शुल्क (₹ करोड़)
1	अंतिम उपयोग एवं अन्य अधिसूचना शर्तों का दुरूपयोग	39 67.79	38 1211.67	18 110.18	69 770.48	29 15.91
2	ईपीसीजी का दुरूपयोग	13 179.55	22 583.08	49 289.11	64 454.92	53 311.96
3	कम मूल्यांकन	210 282.43	140 432.71	85 285.64	92 254.37	154 184.89
4	गलत घोषणा	298 2392.26	102 224.22	52 172.42	112 1187.61	167 309.09
5	फिरती आयात कर वापसी	71 1590.14	17 80.50		94 1150.46	58 99.70
6	ईओयू/ईपीजेड/ सेज का दुरूपयोग	7 39.07	3 6.90	6 37.50	18 9.54	6 37.34
7	डीईपीबी का दुरूपयोग	16 22.77	5 3.09			
8	डीईईसी/अग्रिम लाइसेंस का दुरूपयोग	6 139.73	1 0	11 1077.15	12 15.21	55 265.21
9	अन्य	49 28.92	366 570.55	186 953.54	170 2780.73	145 198.08
	कुल	**709** **4742.66**	**694** **3112.72**	**407** **2925.54**	**631** **6623.32**	**667** **1422.18**

स्रोत: डीआरआई तस्करी रोधी निष्पादन प्रतिवेदन (एएसपीआर)।

अनुबंध 4

विभाग द्वारा स्वीकृत तथा वसूली किए गए 'शुल्क छूट/माफी योजनाओं में अनियमितताओं' के नमूना जांच किए गए मामलों के ब्यौरे

(संदर्भ अध्याय II)

क्र. सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ सक्षिप्त विषय	श्रेत्रीय कार्यालय	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	कमिश्नरी/ डीजीएफटी/डीसी का नाम
1	डीएपी 5 छूट की गलत अनुमति	अहमदाबाद	97.00	97.00		कांडला
2	डीएपी 8 पूराने पूंजीगत माल के आयात हेतु एसएचआईएस स्क्रिप का गलत उपयोग	चेन्नई	49.71	49.71		चेन्नई (समुद्र)
3	डीएपी 10 फिरती की वसूली नहीं हुई जहां निर्यात प्राप्तियों की वसूली नहीं हुई थी	कोच्ची	28.95	28.95	26.86	कोच्ची
4	डीएपी 11 निर्यात दायित्व के पूरा न होने पर मिश्रित फीस की कम वसूली	कोच्ची	17.31	17.31	17.31	जेडीजीएफटी, कोच्ची
5	डीएपी 12 समय बाधित दावों के लिए एसएचआईएस स्क्रिप की गलत अनुमति	कोच्ची	14.40	14.40	16.29	जेडीजीएफटी, कोच्ची
6	डीएपी 15 एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट की गलत अनुमति	चेन्नई	101.00	101.00	155.00	जेडीजीएफटी, चेन्नई
7	डीएपी 24 अपात्र निर्यातों पर एफपीएस के तहत शुल्क क्रेडिट की अधिक अनुमति	चेन्नई	93.13	93.13	115.00	जेडीजीएफटी, कोयम्बटूर
8	डीएपी 27 निर्यात दायित्व पूरा न करने के परिणामस्वरूप शुल्क एवं ब्याज की वसूली के लिए बॉड/बैंक गारंटी लागू न करना	चेन्नई	13.76	13.76	20.83	चेन्नई (समुद्र)

क्र. सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ सक्षिप्त विषय	श्रेत्रीय कार्यालय	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	कमिश्नरी/ डीजीएफटी/डीसी का नाम
9	डीएपी 45 एसएफआईएस के तहत अधिक शुल्क क्रेडिट हकदारी देना	कोलकाता	15.14	15.14	5.41	एडीजीएफटी, कोलकाता
10	डीएपी 49 निर्यात दायित्व पूरा न करने के परिणामस्वरूप शुल्क एवं ब्याज की वसूली के लिए बॉड/बैंक गारंटी लागू न करना	चेन्नई	50.22	50.22	130.00	चेन्नई (समुद्र)
11	डीएपी 50 एसएफआईएस के तहत अधिक शुल्क क्रेडिट	बेंगलूरू	14.26	14.26	13.23	एडीजीएफटी, बेंगलूरू
12	डीएपी 51 सेज/ईओयू से खरीदों पर केन्द्रीय बिक्रीकर की गलत प्रतिपूर्ति	चेन्नई	57.35	57.35	57.35	विकास कमिश्नरी, एमईपीजेड, एसईजेड चेन्नई
13	डीएपी 52 केन्द्रीय उत्पादन योजना अन्तर्गत क्रेडिट शुल्क का अधिक अनुदान	चेन्नई	18.39	18.39	15.13	जेडीजीएफटी, कोयम्बटूर
14	डीएपी 54 विलंबित आवेदनों पर देर से कटौती के लागू न करने के परिणामस्वरूप क्रेडिट शुल्क का अधिक अनुदान	चेन्नई	10.38	10.38	10.81	जेडीजीएफटी, कोयम्बटूर
15	डीएपी 57 वीकेजीयूवाई योजना के अन्तर्गत शुल्क मुक्त क्रेडिट हकदारी की अधिक मंजुरी	हैदराबाद	10.03	10.03	12.47	जेडीजीएफटी, विशाखापत्तनम
16	डीएपी 58 निर्यात आबंधन की अपूर्णता	बेंगलूरू	12.41	12.41	12.41	आयुक्त सीमाशुल्क, न्यू कस्टम्स हाउस, पंनमबूर, मंगलूरु
17	डीएपी 59 निर्यात आबंधन की अपूर्णता	बेंगलूरू	17.51	17.51		आईसीडी, वाईटफिल्ड, बेंगलूरू

क्र. सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ सक्षिप्त विषय	श्रेत्रीय कार्यालय	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	कमिश्नरी/ डीजीएफटी/डीसी का नाम
18	डीएपी 60 निर्यात आबंधन की अपूर्णता	बेंगलूरू	36.82	36.82		क्षेत्रीय जेडीजीएफटी, बेंगलूरू
19	डीएपी 66 हकदारी पर देर से कटौती की गैर उगाही	मुंबई	15.48	15.48		डीजीएफटी, मुंबई
20	डीएपी 71 कोयले के आयात पर एमईआईएस और एफपीएस योजनाओं के लिए स्वच्छ वातावरण उपकर की अनियमित डेबिटिंग	हैदराबाद	19.49	19.49	19.49	सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), काकीनाडा
21	डीएपी 73 आवेदन से पहले की आपूर्ति के लिए अग्रिम लाईसेन्स के अनियमित मामले	चेन्नई	80.00	80.00	80.00	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त, डिंडीगुल
22	डीएपी 74 निर्यात आबंधन की अपूर्णता	बेंगलूरू	22.82	22.82		आरएलए, बेंगलूरू
23	डीएपी 75 निर्यात आबंधन की अपूर्णता	बेंगलूरू	16.60	16.60		आरएलए, बेंगलूरू
24	डीएपी 76 निर्यात आबंधन की अपूर्णता	बेंगलूरू	60.56	60.56		आरएलए, बेंगलूरू
25	डीएपी 78 अश्वीकार्य सीएसटी की प्रतिपूर्ति	बेंगलूरू	13.67	13.67	11.01	निदेशक, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, बेंगलूरू
26	डीएपी 85 एक ईओयू द्वारा डीटीए की निकासी पर शिक्षा उपकर का गैर भुगतान	चंडीगढ़	10.11	10.11	16.36	केंद्रीय उत्पाद शुल्क, फरीदाबाद-II
27	डीएपी 87 निर्यात आबंधन की अपूर्णता	बेंगलूरू	14.25	14.25		आरएलए, बेंगलूरू
		कुल	**910.75**	**910.75**	**734.96**	

अनुबंध 5

विभाग द्वारा स्वीकृत और वसूले गये 'सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत कार्यान्वयन' के मामलों की नमूना जांच के विवरण

(संदर्भ अध्याय III)

क्र. स.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ संक्षिप्त विषय	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	आपत्ति राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली राशि (₹ लाख में)	कमीशनरी का नाम /डीजीएफटी/डीसी
1	डीएपी 1 एसएडी की गलत छूट देने के कारण देय शुल्क का कम उद्ग्रहण	कोच्ची	69.26	69.26	72.64	कोचीन
2	डीएपी 20 आरएसपी से कटौती की गलत दर लागू करने के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	कोलकाता	22.21	22.21	-	पेट्रापॉल एलसीएस (प्रीवेंटिव पश्चिम बंगाल)
3	डीएपी 22 यूनिट कंटेनर में रखे गये पास्ता इंपोर्ट की लाभ अधिसूचना की गलत स्वीकृति	दिल्ली	10.12	10.12	11.20	आईसीडी, तुगलकाबाद
4	डीएपी 32 रेडीमेड गारमेंटस इंपोर्ट को अधिसूचना लाभ की गलत स्वीकृति	दिल्ली	11.86	11.86	12.95	आईसीडी, तुगलकाबाद
		कुल	**113.45**	**113.45**	**96.79**	

अनुबंध 6

विभाग द्वारा स्वीकृत और वसूले गये 'कार्यान्वयन योग्य उद्ग्रहण और अन्य प्रभारों का कम/गैर-उद्ग्रहण के मामलों की नमूना जांच के विवरण

(संदर्भ अध्याय IV)

क्र. स..	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्रापफ संक्षिप्त विषय	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	आपत्ति राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली राशि (₹ लाख में)	कमीशनरी का नाम /डीजीएफटी/डीसी
1	डीएपी 6 मर्चेंट ओवरटाइम फी की गैर वसूली	जयपुर	14.49	14.49	14.49	प्रीवेंटिव, जोधपुर
2	डीएपी 13 प्रोजेक्ट इंपोर्ट के अंतर्गत कममूल्यांकन की जांच में विफलता	अहमदाबार	34.87	34.87		जामनगर
3	डीएपी 14 एंटी डंपिंग ड्यूटी का कम उद्ग्रहण	दिल्ली	25.61	25.61	15.40	आईसीडी, तुगलकाबाद (आयात और निर्यात)
4	डीएपी 16 एजुकेशन सैस और सीमेंट/पेपर सैस की गैर वसूली के कारण ड्यूटी का कम उद्ग्रहण	कोलकाता	21.60	24.04	24.04	करीमगंज, सीमा शुल्क प्रभाग (शिलांग कमीश्नरी)
5	डीएपी 26 एंटी डंपिंग ड्यूटी का कम उद्ग्रहण	चेन्नई	49.85	49.85		सीमा शुल्क (समुद्र)
6	डीएपी 28 प्रतिदाय अनुभाग और वसूली सैल के बीच सहयोग के अभाव के कारण राजस्व कर बकाया की गैर-वसूली	चेन्नई	27.81	27.81	62.68	तूतीकोरिन समुद्र (सीमा शुल्क)
7	डीएपी 34 एंटी डंपिंग ड्यूटी का कम उद्ग्रहण	दिल्ली और मुम्बई	40.13	40.13	33.95	आईसीडी, रेवाड़ी, हरियाणा/जेएनसी एच, न्वाहा शेवा, मुंबई

क्र. स..	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्रापफ संक्षिप्त विषय	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	आपत्ति राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली राशि (₹ लाख में)	कमीशनरी का नाम /डीजीएफटी/डीसी
8	डीएपी 36 एंटी डंपिंग ड्यूटी का कम उद्ग्रहण	मुम्बई	83.76	83.76		जेएनसीएच, न्वाहा शेवा, मुंबई
9	डीएपी 41 एंटी डंपिंग ड्यूटी का कम उद्ग्रहण	मुम्बई	46.52	46.52	47.46	जेएनसीएच, न्वाहा शेवा, मुंबई
10	डीएपी 48 उच्च समुद्र विक्रय मूल्य की गलत स्वीकृति के कारण कम उद्ग्रहण	दिल्ली	31.22	31.22	33.62	आईसीडी, पटपड़गंज
11	डीएपी 55 लेनदेन मूल्य की गलत स्वीकृति के कारण कम उद्ग्रहण	दिल्ली	10.26	10.26	6.29	एनसीएच, नई दिल्ली
12	डीएपी 79 सीमा शुल्क लागत प्रभार वसूली प्रभार की कम वसूली	मुम्बई	71.09	71.09	71.09	एनसीएच, मुम्बई
13	डीएपी 97 विमानन टरबाइन इंधन पर शुल्क की गैर प्राप्ति (एटीएफ)	कोच्ची	20.52	20.52	30.69	कस्टम हाउस, कोच्ची
		कुल जोड़	**477.73**	**480.17**	**339.71**	

अनुबंध 7

विभाग द्वारा स्वीकृत एवं वसूल की किये गए 'माल के गलत वर्गीकरण' के मामलों की परीक्षण जांच का विवरण

(संदर्भ अध्याय V)

क्र. सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ संक्षिप्त विषय	क्षेत्रीय कार्यालय	आपत्ति राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूल की गई राशि (₹ लाख में)	कमीशनरी का नाम/ डीजीएपटी/डीसी
1	डीएपी 33 मैन्स पोलीस्टर जैक्सटस आयात पर गलत वर्गीकरण	दिल्ली	13.89	13.89	14.16	आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली
2	डीएपी 4 पॉलीस्टर आयात के मानव निर्मित कपड़े का गलत वर्गीकरण	दिल्ली	11.98	11.98	12.88	एनसीएच, नई दिल्ली
3	डीएपी 7 डीजिटल इंककजेट प्रिंटर आयात पर गलत वर्गीकरण	चेन्नई	13.98	13.98		चेन्नई(समुद्र)
4	डीएपी 17 गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम उगाही	दिल्ली	11.54	11.54	10.36	आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली
5	डीएपी 18 चावल मिल रबर रोलर आयात पर गलत वर्गीकरण	दिल्ली	9.95	9.95	0.98	आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली
6	डीएपी 30 ब्रास स्टील कोटेड वायर का गलत वर्गीकरण	दिल्ली	14.01	14.01		आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली
7	डीएपी 31 गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम उगाही	दिल्ली	12.10	12.10	1.03	आईसीडी, तुगलकाबाद एवं पडपडगंज नई दिल्ली
8	डीएपी 40 गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम उगाही	मुम्बई	12.42	12.42		जेएनसीएच, न्हावा सेवा, मुम्बई

क्र. सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ संक्षिप्त विषय	क्षेत्रीय कार्यालय	आपत्ति राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूल की गई राशि (₹ लाख में)	कमीशनरी का नाम/ डीजीएपटी/डीसी
9	डीएपी 42 बुने ब्लेजर, लेड़िज पेडेड कोट आयात पर गलत वर्गीकरण	दिल्ली	10.21	10.21	10.80	आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली
10	डीएपी 43 गर्ल्स सूट, मेन कोटन टी-शर्ट आदि के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क वापसी की अत्यधिक मंजूरी	दिल्ली	10.26	10.26	4.02	आईसीडी, तुगलकाबाद एवं पडपडगंज नई दिल्ली
11	डीएपी 44 नाईट्रोजन वाष्पीकरण, ऑक्सीजन/नाईट्रोजन एलीमेंटल विश्लेषक का गलत वर्गीकरण	हैदराबाद	11.22	11.22	12.36	एसीसी,शमशाबाद
12	डीएपी 84 मोटर वाहन आयात के पुर्जो एवं सहायक सामग्री का गलत वर्गीकरण.	मुम्बई	10.67	10.67		जेएनसीएच, मुम्बई
13	डीएपी 89 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आयात पर गलत वर्गीकरण	मुम्बई	13.12	13.12		जेएनसीएच, मुम्बई
14	डीएपी 94 डीजिटल थर्मामीटर एवं वुडन स्टीक आयात पर गलत वर्गीकरण	दिल्ली	10.40	10.40		आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली
		कुल जोड़	**165.75**	**165.75**	**66.59**	

शब्दों और संकेताक्षरों की शब्दावली

विस्तृत रूप	संकेताक्षर
अधिकृत ग्राहक कार्यक्रम	एसीपी
अग्रिम प्राधिकार	एए
प्राधिकृत आर्थिक संचालक	एईओ
अग्रिम छूट आदेश	एआरओ
एंटी डंपिंग शुल्क	एडीडी
आधारभूत सीमाशुल्क	बीसीडी
प्रविष्टि रसीद	बीई
केंद्रीय बोर्ड, उत्पाद एवं सीमाशुल्क	सीबीईसी
केंद्रीय उत्पाद टैरिफ हेडिंग	सीईटीएच
केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन	सीएसओ
केंद्रीय बिक्री कर	सीएसटी
लागत बीमा भाड़ा	सी.आई.एफ.
सीमाशुल्क आयुक्तालय	कमिश्नरेट
प्रतिकारी शुल्क	सीवीडी
कस्टम्स टैरिफ हेडिंग	सीटीएच
डाटा प्रबंधन निदेशालय	डीडीएम
राजस्व विभाग	डीओआर
वाणिज्य विभाग	डीओसी
विदेशी व्यापार महानिदेशालय	डीजीएफटी
विकास आयुक्त	डीसी
एंटी डंपिंग महानिदेशालय	डीजीएडी
घरेलू टैरिफ क्षेत्र	डीटीए
शुल्क हकदारी पासबुक	डीईपीएस
शुल्क मुक्ति हकदारी क्रेडिट प्रमाणपत्र	डीईईसी
शुल्क मुक्त पुनर्पूर्ति प्रमाणपत्र	डीएफईसीसी
इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज	इडीआई
निर्यात दायित्व	ईओ
निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र	ईओडीसी
निर्यातोन्मुख इकाई	ईओयू
निर्यात प्रोत्साहन पूँजीगत माल	ईपीसीजी

विस्तृत रूप	संकेताक्षर
निर्यात एवं आयात	ईएक्सआईएम
वित्तीय वर्ष	एफवाई
वित्तीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन अधिनियम	एफआरबीएम
फ्री ऑन बोर्ड	एफओबी
विदेश व्यापार नीति	एफटीपी
सकल घरेलू उत्पाद	जीडीपी
वस्तु एवं सेवा कर	जीएसटी
प्रकिया हैंडबुक	एचबीपी
सुमेलित नामकरण प्रणाली	एचएसएन
आयातक निर्यातक कोड	आईईसी
भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा विनिमय प्रणाली	आईसीईएस
भारतीय सीमा शुल्क इलैक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम	आईसीईडी
इन्लैन्ड कंटेनर डिपो	आईसीडी
अंतर्राष्ट्रीय शुल्क वर्गीकरण (सुसंगत प्रणाली)	आईटीसी(एचएस)
संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार	जेडीजीएफटी
अनुमति पत्र	एलओपी
साइट पर पोस्ट क्लीयरेंस लेखापरीक्षा	ओएसपीसीए
लोक लेखा समिति	पीएसी
प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक	प्रधान सीसीए
क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी	आरएलए
जोखिम प्रबंधन प्रणाली	आरएमएस
रूपय	₹
सीमाशुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क	एसएडी
विशेष आर्थिक क्षेत्र	एसईज़ेड
भारतीय योजना से सहायता प्राप्त	एसएफआईएस
सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क	एसटीपी
मानक इनपुट आउटपुट मानदंड	एसआईओएन
विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना	वीकेजीयूवाई

© भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in